



# महालेखापरीक्षकको कार्यालय

## Office of the Auditor General

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन महानिर्देशनालय

पत्र संख्या: २०७५/७६

च.नं.

Phone: 4258174

4266034

4255707

A.G. Fax : 977-1-4268309

Fax : 977-1-4262798

Post Box : 13328

बबरमहल, काठमाडौं, नेपाल

Babar Mahal, Kathmandu, Nepal

मिति: २०७५/१२/२९

विषय: लेखापरीक्षण प्रतिवेदन।

श्री प्रमुखज्यू/अध्यक्षज्यू,  
नगर/गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय,

नेपालको संविधानको धारा २४१ बमोजिम त्यस कार्यपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २०(२) बमोजिम यो प्रतिवेदन जारी गरिएको छ । उक्त प्रतिवेदन लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २०(३) र दफा २२ बमोजिम कारबाहीको लागि अनुरोध छ ।

(सुवर्णप्रसाद ढकाल)

नायब महालेखापरीक्षक

## महालेखापरीक्षकको सन्देश

नेपालको संविधानको धारा २४१ बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी कार्यालय र लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा १० बमोजिम पूर्णस्वामित्व भएको संगठित संस्थाको नियमितता, मितव्यिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्य समेतको विचार गरी महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण हुने व्यवस्था छ। लेखापरीक्षणको क्रममा ऐनको दफा ४ बमोजिम महालेखापरीक्षकले ती निकायको एक एक गरी वा बीच बीचमा छाडके वा केही प्रतिशतमात्र परीक्षण गर्ने गरी लेखापरीक्षणको तरिका, क्षेत्र र अवधि तोकी लेखापरीक्षण गर्न, त्यसबाट प्राप्त तथ्य दर्शाउन, आलोचना गर्न र आर्थिक विवरणउपर रायसहितको प्रतिवेदन जारी गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था छ।



ट्रंकमणि शर्मा, दंगाल  
महालेखापरीक्षक

यस वर्ष ७५३ वटा स्थानीय तहमध्ये ७४७ स्थानीय तहको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी देखिएका व्यहोराको सारांश महालेखापरीक्षकको ५६ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा समेत समावेश गरिएको छ। ६ वटा स्थानीय तहको लेखा स्रेस्ता पेश नभएकाले लेखापरीक्षण सम्पन्न हुन सकेन। आर्थिक कारोबार, वित्तीय व्यवस्थापन, कार्यक्रम सञ्चालन, कानूनको पालना सम्बन्धमा गर्नुपर्ने सुधार र असुल फछ्यौट गर्नुपर्ने विषय समावेश गरी प्रत्येक स्थानीय तहलाई बेगलावेगलै लेखापरीक्षण प्रतिवेदन दिने व्यवस्था मिलाएको छ। लेखापरीक्षणका क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता, लेखापरीक्षण मानदण्ड, निर्देशिकाबमोजिम प्रचलित ऐन, कानून, निर्णय समेतका आधारमा परीक्षण मूल्याङ्कन गरिएको छ। प्रदेश र जिल्ला स्तरीय छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा स्थानीय तहका प्रमुख, लेखाउत्तरदायी अधिकृत तथा अन्य पदाधिकारीबाट प्राप्त सूचना र सुझावलाई प्रतिवेदन तयार गर्दा ध्यान दिइएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को स्थानीयतहको लेखापरीक्षणबाट मूलतः पारित भएका कानूनहरु स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशित नभएको, दरबन्दी बमोजिम कर्मचारीको पदपूर्ति नभएको, सार्वजनिक खरिद ऐनको पालना नभएको, प्रदेश कानूनले तोकेभन्दा फरक/विपरीत पदाधिकारीलाई सेवा सुविधा भक्तानी गरेको, योजना छनौट, सञ्चालन र भक्तानीमा समस्या देखिएको, वितरणमुखी र अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भएको, आन्तरिक आय तथा राजस्व सङ्कलन व्यवस्थित नदेखिएको, आन्तरिक आयको तुलनामा अत्यधिक प्रशासनिक खर्च भएको, आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रभावकारी नभएको, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली व्यवस्थित नभएको, वित्तीय जवाफदेहिताको स्तरमा सुधार गर्नुपर्ने जस्ता व्यहोराहरु रहेका छन्।

लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २०(२) अनुसार महालेखापरीक्षकले प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकाको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी सकेपछि, अलग अलग लेखापरीक्षण प्रतिवेदन जारी गर्न सक्ने र ऐनको दफा २०(३) मा स्थानीय तहको प्रचलित कानूनबमोजिम गाउँसभा वा नगरसभामा पेश गरी छलफल गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। स्थानीय तहको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा औल्याइएका व्यहोरा उपर छलफल गरी दुङ्गो लगाउँदा लेखापरीक्षणको मूल्य मान्यता एवं स्वार्थ वाभिने व्यवहार नहुने आस्वस्तासँगै स्थानीय तहको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको सुनिश्चितताको अपेक्षा गर्दछु। यो स्थानीय तहको सम्बन्धमा दोस्रो प्रतिवेदन हो। संघीय प्रणाली अन्तर्गत स्थानीय तहमा सार्वजनिक स्रोतको समुचित उपयोग गर्दै विकास निर्माण र सेवा प्रवाहका कार्यलाई उत्कृष्ट नमूनाको रूपमा सञ्चालन गर्न अवसर प्राप्त भएको छ। यद्यपी नयाँ संरचनामा भौतिक, वित्तीय तथा जनशक्ति अभाव जस्ता चुनौति र समस्याका कारण अपेक्षाकृत प्रगति हुन सकेको देखिन्दैन। त्यसैले प्रतिवेदनमा समावेश भएका व्यहोरा र सुझावहरुको कार्यान्वयनबाट स्थानीय तहको शासकीय व्यवस्था सञ्चालनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेको छु।

अन्त्यमा, सर्वैधानिक जिम्मेवारीअनुसार लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा सुझाव दिई सहयोग गर्ने स्थानीय तहका प्रमुख, उप-प्रमुख, लेखाउत्तरदायी अधिकृतहरु लगायत नागरिक समाज र सञ्चारकर्मीहरुप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै, अहोरात्र खटिई समयमै लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी प्रतिवेदन तयार गर्न योगदान गर्ने कार्यालयका सम्पूर्ण कर्मचारीलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु।

## संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन महा-निर्देशनालय

पत्र संख्या:

मिति: २०७५।१।२१।२

श्री प्रमुखज्यू  
पञ्चेश्वर गाउँपालिका,  
बैतडी ।

विषय: लेखापरीक्षण प्रतिवेदन ।

यस कार्यालयबाट पञ्चेश्वर गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७४।७५ को पेश भएका वित्तीय विवरण र सोसँग सम्बन्धित कागजातको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएको छ ।

**वित्तीय विवरण उपर व्यवस्थापन पक्षको जिम्मेवारी** - आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४, आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ तथा प्रचलित कानून तथा अभ्यास अनुरूप लेखा राख्ने र राख्न लगाउने, लेखा विवरण तयार गर्ने गराउने कार्यका साथै आर्थिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने तथा प्रस्तुतीकरण गर्ने जिम्मेवारी व्यवस्थापन पक्षको रहेको छ ।

**लेखापरीक्षकको जिम्मेवारी** - प्रस्तुत वित्तीय विवरणहरु उपर लेखापरीक्षणको आधारमा राय व्यक्त गर्नु लेखापरीक्षकको जिम्मेवारी हो । लेखापरीक्षण कार्य नेपालको संविधान, लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ तथा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले अवलम्बन गरेको सरकारी लेखापरीक्षण मानदण्ड र अन्य मार्गदर्शन तथा अन्य प्रचलित कानूनको आधारमा गरिएको छ । लेखापरीक्षणको क्रममा प्राप्त गरेका प्रमाणहरु लेखापरीक्षण राय व्यक्त गर्ने आधार उपलब्ध गराउन पर्याप्त र उपयुक्त छन् भन्ने कुरामा कार्यालय विश्वस्त छ ।

**कैफियत सहितको लेखापरीक्षण राय व्यक्त गर्ने आधार** - कैफियत सहितको लेखापरीक्षण राय व्यक्त गर्ने आधारका रूपमा सञ्चित कोष विवरणमा सारभूत असर पार्ने व्यहोराहरु निम्नानुसार छन् :

१. लेखापरीक्षणबाट रु.२ करोड ८० लाख ४६ हजार बेरुजू देखिएको छ । सोमध्ये असुल गर्नुपर्ने रु.५० लाख ९५ हजार, नियमित गर्नुपर्ने रु.२ करोड ९६ लाख १४ हजार, प्रमाण कागजात पेश गर्नुपर्ने रु.४ लाख ५० हजार र पेशकी रु.८ लाख ८७ हजार रहेको छ ।
२. आम्दानी तथा खर्चको स्नेस्ता नगदमा आधारित लेखा प्रणाली अवलम्बन गरेकोले सम्पत्ति तथा दायित्व यकिन हुन सकेन ।
३. लेखापरीक्षणमा देखिएका व्यहोराहरुका सम्बन्धमा मिति २०७५।६।७ मा जारी गरिएको प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपर प्रतिकृया सहितको प्रमाण कागजात पेश हुन नआएकोले बेरुजू फछ्यौट नभई कायम व्यहोराको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पाना १३ यसैसाथ संलग्न छ ।

**कैफियत सहितको लेखापरीक्षण राय** - कैफियत सहितको लेखापरीक्षण रायले त्यहाँको सञ्चित कोष विवरणमा पर्ने असर र लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका व्यहोराहरु बाहेक आर्थिक वर्ष २०७४।७५ को आर्थिक कारोबार, लेखा तथा प्रतिवेदन आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ र नियमावली, २०६४ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा प्रचलित कानूनबमोजिम रहेको छ ।

(सुवर्णप्रसाद ढकाल)  
नायव महालेखापरीक्षक

**पञ्चेश्वर गाउपालिका**  
**लेखापरीक्षण प्रतिवेदन**  
**२०७४।७५**

**परिचय :** स्थानीय नेतृत्वको विकास गर्दै स्थानीय शासन पद्धतिलाई सुदृढ गरी स्थानीय तहमा विधायिकी, कार्यकारीणी र न्यायीक अभ्यासलाई संस्थागत गरी स्थानीय सरकारले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र स्रोत साधन सङ्ग्रहन र परिचालन गरी विकास निर्माण लगायतको काम गर्न जनताको सहभागितामा आधारिता दिगो विकासको लाभ समतामूलक तरिकाले उपभोग गर्ने कार्यको लागि यस गाँउपालिकाको स्थापना भएको हो । नेपाल सरकार एवं स्थानीय तहमै उपलब्ध हुने स्रोत साधानको अधिकतम उपयोग गरी योजनावद्व सहभागितामूलक कार्यक्रमको माध्यमबाट स्थानीय जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने गरी सामाजिक आर्थिक तथा भौतिक क्रियाकलापहरु सञ्चालन गर्नु स्थानीय तहको मूल्य उद्देश्य रहेको छ । सुदुरपश्चिम प्रदेशमा अवस्थित यो गाँउपालिका अन्तर्गत ६ वडा, ३४ नगर सभा सदस्य, १२०.४१ वर्ग कि.मी. क्षेत्रफल र १९७६६ जनसंख्या रहेको छ ।

**स्थानीय सञ्चितकोष :** आर्थिक वर्ष २०७४।७५ स्थानीय सञ्चित कोष आय-व्यय हिसाबको संक्षिप्त अवस्था निम्न बमोजिम रहेको छ ।

| सि.नं. | आयतर्फ                         |            |              | सि.नं. | व्ययतर्फ                           |            |              |
|--------|--------------------------------|------------|--------------|--------|------------------------------------|------------|--------------|
|        | विवरण                          | रकम        | रकम          |        | विवरण                              | रकम        | रकम          |
| १      | गत वर्षको जिम्मेवारी           |            | ५९९९०९४.६४   | १      | चाल खर्च                           |            | १६०५८३०४०    |
|        | क) नगद                         |            | ०            |        | क) वित्तीय समानीकरण अनुदान         |            | ०            |
|        | ख) बैंक                        | ५९९९०९४.६४ |              |        | ख) सशर्त अनुदान                    |            | ०            |
| २      | राजस्व (आन्तरिक आय)            |            | ०            |        | ग) विषयगत                          |            | ०            |
|        | क) आन्तरिक राजस्व              |            | ६०८९००       |        | घ) गत आव को सामाजिक सुरक्षा फिर्ता |            | ०            |
|        | ख) राजस्व बाँडफाँड             |            | ०            |        |                                    |            | ०            |
|        | ग) अन्य आय                     |            | ०            | २      | पूँजीगत खर्च                       |            | १५१६१०४६१    |
| ३      | वित्तीय हस्तान्तरण             |            | ०            | ३      | वित्तीय व्यवस्था भुक्तानी          |            | ०            |
|        | क) वित्तीय समानीकरण अनुदान     |            | १६०१०५०००    |        | क) ऋण भुक्तानी                     |            | ०            |
|        | ख) सशर्त अनुदान                |            | ८४७९१०००     |        | ख) व्याज भुक्तानी                  |            | ०            |
|        | ग) समपूरक अनुदान               |            | ०            |        | ग) अन्य भुक्तानी                   |            | ०            |
|        | घ) विशेष अनुदान                |            | ४०३७९०००     | ४      | लगानी                              |            | ०            |
| ४      | प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदान |            | ०            |        | ऋण लगानी                           |            | ०            |
|        | क) वित्तीय समानीकरण अनुदान     |            | २९२०००       |        | शेयर लगानी                         |            | ०            |
|        | ख) सशर्त अनुदान                |            | ०            |        | अन्य लगानी                         |            | ०            |
|        | ग) समपूरक अनुदान               |            | ०            | ५      | धरौटी फिर्ता                       |            | ७००९००       |
|        | घ) विशेष अनुदान                |            | ०            | ६      | कोष खर्च                           |            | ०            |
| ५      | अन्तर स्थानीय तहबाट प्राप्त    |            | ०            | ७      | मौज्दात                            |            | ८३९२९९३.६४   |
| ६      | वित्तीय व्यवस्था प्राप्ति      |            | ०            |        | क) धरौटी खाता मौज्दात              | २७०५००     |              |
|        | क) ऋण प्राप्ति                 |            | ०            |        | ख) बैंक मौज्दात मुल संचित कोष      | ८१२२४९३.६४ |              |
|        | ख) साँचा प्राप्ति              |            | ०            |        |                                    |            | ०            |
| ७      | विभिन्न कोषतर्फको आय           |            | ०            |        |                                    |            | ०            |
| ८      | जनसहभागिता (नगद)               |            | ०            |        |                                    |            | ०            |
| ९      | विषयगत निकायबाट प्राप्त रकम    |            | ०            |        |                                    |            | ०            |
| १०     | धरौटी आय                       |            | ९७४००        |        |                                    |            | ०            |
| ११     | लगानीको साँचा फिर्ता           |            | ०            |        |                                    |            | ०            |
| १२     | अन्य विविध आय                  |            | २९९९९०००     |        |                                    |            | ०            |
|        | जम्मा                          |            | ३२१३६७३९४.६४ |        | जम्मा                              |            | ३२१३६७३९४.६४ |

| बेरुजू दफा | लेखापरीक्षणबाट देखिएका व्यहोरा  | रकम |
|------------|---|-----|
| १.         | <b>खर्च गर्ने अखिलयारी :</b> स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७३ वमोजिम सभावाट वजेट स्वीकृत भएको सात दिन भित्र प्रमुख वा अध्यक्षले प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतलाई वजेट खर्च गर्ने अखिलयारी प्रदान गर्ने व्यवस्था छ । प्रशासकिय अधिकृतले १५ दिन भित्र वडा सचिवलाई कार्यक्रम र वजेट सहित प्रचलित कानून वमोजिम खर्च गर्ने अखिलयारी दिनुपर्ने व्यवस्था छ । ऐनले व्यवस्था गरे अनुसारको लिखित अखिलयारी प्रत्यायोजन गरेको छैन । प्रशासकिय अधिकृतले १५ दिन भित्र वडा सचिवलाई खर्च गर्ने अखिलयारी दिनुपर्नेमा पटक पटक वडा सचिवलाई पेशिक दिई कार्यालय संचालन गरेको देखियो । आर्थिक वर्ष २०७४।४।१० को गाउसभा मिति २०७४।४।१० मा सम्पन्न भएको तथा स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ मिति २०७४।०५।२९ गतेबाट लागु भएकाले सो कार्य हुन नसकेको व्यहोरा कार्यालयले जनाएको छ । अतः ऐनमा वयवस्था भए अनुसारको कार्यक्रम र वजेट सहित प्रचलित कानून वमोजिम खर्च गर्ने अखिलयारी दिनुपर्दछ ।   |     |
| २.         | <b>वजेट पेश तथा पारित गर्ने:</b> स्थानीय तह संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ वमोजिम स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको राजश्व र व्ययको अनुमान कार्यपालीकावाट स्वीकृत गराई आषाढ १० गते भित्र सभामा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । आय व्ययको अनुमान साथ गत वर्षको वास्तविक आय व्यय , चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम सम्ममा हुने आय व्ययको संशोधित अनुमान तथा आगामी आर्थिक वर्षको योजना तथा कार्यक्रम र आय व्ययको अनुमानित विवरण सभामा पेश गरि १५ दिन भित्र छलफल सम्पन्न गरी आषाढ भित्रै पारीत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । स्थानीय तहले चालु आर्थिक वर्षको राजश्व र व्ययको अनुमान कार्यपालीकावाट स्वीकृत गराई ऐनमा व्यवस्था भएको समय सीमा भित्र निर्दिष्ट ढाचामा पारित नगरेकोले ऐनको व्यवस्था अनुसार पारीत हुनुपर्दछ ।  |     |
| ३.         | <b>आन्तरीक नियन्त्रण प्रणाली:</b> स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ मा स्थानीय तहले आफ्नो कार्यालयबाट सम्पादन गरिने कार्य मितव्ययी, प्रभावकारी, नियमितता र कार्यदक्षतापूर्ण ढंगबाट सम्पादन गर्न आ-आफ्ना कामको प्रकृति अनुसारको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गर्दा कामको प्रकृति अनुरूप जोखिम क्षेत्रको पहिचान, नियन्त्रणको वातावरण, सुचनाको आदान प्रदान, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन जस्था विषयलाई समेत समेटनुपर्ने र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको अनुगमन गर्नको लागि गाउँपालिकाको अध्यक्ष वा प्रमुख वा जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख आफैले वा जिम्मेवार अधिकारी तोकि अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने व्यवस्था छ ।<br>कार्यालयले यो वर्ष ऐन वमोजिम आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको स्थापना गरेको, जोखिम क्षेत्र पहिचान र नियन्त्रणका उपाय सम्बन्धमा छलफल समेत गरेको देखिदैन । कार्यालयले भ्रमण अभिलेख खाता नराखेको, व्याक लोडर रहेकोमा चलेको विवरण नराखेको, मूल्यवान सवारी साधन राख्न उचित प्रवन्ध नगरेको, स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ७८ मा स्थानीय तहले आफ्नो कार्यालयबाट सम्पादन गरिने कार्य मितव्ययी, प्रभावकारी, नियमितता र कार्यदक्षतापूर्ण ढंगबाट सम्पादन गर्न , वित्तीय प्रतिवेदन प्रणालीलाई विश्वसनिय बनाउन र प्रचलित कानून वमोजिम कार्यसम्पादन गर्न आ फ्ना कामको प्रकृति अनुरूपको जोखीम क्षेत्रको पहिचान नियन्त्रणको वातावरण , सुचनाको आदानप्रदान, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन जस्ता विषयलाई समेटनुपर्ने र त्यस्तो प्रणालीको अनुगमन गाउपालिका प्रमुख आफैले वा जिम्मेवार अधिकारी तोकि अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने मा हुन नसकेको, कार्यालयले भ्रमण अभिलेख, नापि कितावमा चेनेज रहेको स्थान उल्लेख गरि चेनेजको लगत राख्ने व्यवस्था नगरेको, खर्चको विल भर्पाई सार्वजनिकीकरण नगरेको , अखिलयार र जिम्मेवारी किटान गरि कर्मचारीको कार्यविवरण तयार नगरेको, भ्रमणमा खटाउनुपर्दा आवश्यकता र भ्रमण अवधिको एकिन गरि आवश्यक मात्रामा मात्र भ्रमण खटाउनुपर्नेमा त्यस तर्फ पुर्ण ध्यान नदिएको, आवश्यकता अनुसार भन्दा बढी भाडामा घरहरु लिई जनप्रतिनिधि एवं कर्मचारीको आवासको रूपमा अनिधिकृत प्रयोग गरी थप व्ययभार परेको, विद्युतिय हाजिरीको प्रयोग नगरेको, कर्मचारीलाई कार्य विवरण दिई कामको वाँडफाँड नगरेको जस्ता व्यहोरा देखिएका छन । ऐनले तोकेको प्रावधान पुरा गरी आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली थप सुदृढिकरण गर्नुपर्ने देखिन्छ । |     |
| ४.         | <b>श्रोत अनुमान तथा वजेट सिमा:</b> स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६६ वमोजिम गाउँपालीकामा प्राप्त हुने आन्तरिक आय, राजश्व वाँडफाँडबाट प्राप्त हुने रकम, अनुदान, ऋण र अन्य आयको प्रक्षेपण तथा सोको सन्तुलित वितरणको खाका र वजेट सिमा निर्धारण गर्न ४ सदस्यीय समिति गठनको व्यवस्था छ । उक्त समितिले आयको प्रक्षेपण ,   |     |

|  | सन्तुलित वितरणमा , वजेट सिमा निर्धारण, वजेट तथा कार्यक्रमको प्राथमिकिकरण, वजेट तर्जुमा मार्गदर्शन गर्नुपर्ने र कार्यपालीकामा पेश गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेकोमा उक्त समितिले राजश्वको दर २०७४।।।।। मा निर्धारण गरी प्रतिवेदन पेश गरेको भएतापनि उपरोक्त अनुसारको सिमा निर्धारण तथा प्राथमीकरणको सन्तुलित विवरणका खाका पेश गरेको देखिएन । त्यस तरफ समयमै ध्यान दिनुपर्दछ ।   |                |                |               |           |              |  |               |                |                |            |   |                                   |           |         |          |           |           |   |                 |        |        |        |        |       |   |                 |        |        |        |        |        |   |                              |          |          |          |         |         |   |                   |          |         |         |          |         |   |                                 |        |   |   |        |       |   |   |        |   |   |        |       |   |  |          |          |   |          |   |   |   |         |   |        |         |       |    |   |         |   |   |         |   |  |       |           |          |          |           |           |  |
|--|---|----------------|----------------|---------------|-----------|--------------|--|---------------|----------------|----------------|------------|---|-----------------------------------|-----------|---------|----------|-----------|-----------|---|-----------------|--------|--------|--------|--------|-------|---|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|---|------------------------------|----------|----------|----------|---------|---------|---|-------------------|----------|---------|---------|----------|---------|---|---------------------------------|--------|---|---|--------|-------|---|---|--------|---|---|--------|-------|---|--|----------|----------|---|----------|---|---|---|---------|---|--------|---------|-------|----|---|---------|---|---|---------|---|--|-------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|--|
| ५.   | वजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा: स्थानीय तह संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६७ मा ४ सदस्यीय वजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति गठन गरि चालु वर्षको निती तथा कार्यक्रम, कार्यक्रमको प्राथमिकिकरण , विषयक्षेत्रगत कार्यक्रम र कार्यक्रममा दोहोरोपना हुन नदिन कार्यक्रमको आपसि तादम्यता तथा परिपुरकता मिलाउने व्यवस्था छ । स्थानीय तहले चालु आर्थिक वर्षको राजश्व र व्ययको अनुमान कार्यपालीकावाट स्वीकृत गराई ऐनमा व्यवस्था भएको समय सीमा भित्र निर्दिष्ट ढाचामा पारित गरेको छैन ।   |                |                |               |           |              |  |               |                |                |            |   |                                   |           |         |          |           |           |   |                 |        |        |        |        |       |   |                 |        |        |        |        |        |   |                              |          |          |          |         |         |   |                   |          |         |         |          |         |   |                                 |        |   |   |        |       |   |   |        |   |   |        |       |   |  |          |          |   |          |   |   |   |         |   |        |         |       |    |   |         |   |   |         |   |  |       |           |          |          |           |           |  |
| ६.   | आन्तरिक ऋण: स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६८ बमोजिम गाउपालीकाले वित आयोगको सिफारिसमा सम्बन्धित सभावाट स्वीकृत गरी उत्पादनशिल, रोजगारमुलक , आन्तरिक आयवृद्धि तथा पूँजीगत कार्यका लागि आन्तरिक ऋण लिन सक्नेव्यवस्था छ । गाउपालीकाले यो वर्ष आन्तरीक ऋण लिने प्रस्ताव पेश भएको छैन ।  |                |                |               |           |              |  |               |                |                |            |   |                                   |           |         |          |           |           |   |                 |        |        |        |        |       |   |                 |        |        |        |        |        |   |                              |          |          |          |         |         |   |                   |          |         |         |          |         |   |                                 |        |   |   |        |       |   |   |        |   |   |        |       |   |  |          |          |   |          |   |   |   |         |   |        |         |       |    |   |         |   |   |         |   |  |       |           |          |          |           |           |  |
| ७.   | स्थानीय तथ्याङ्क र अभिलेख: स्थानीय तह संचालन ऐन, २०७४ को दफा ११ बमोजिम यस गाउपालीकाले आफ्नो क्षेत्र भित्रको आधारभूत तथ्याङ्क संकलन , अभिलेख र सोको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । गाउपालीकाले स्थानीय तथ्याङ्क सम्बन्धी निती , कानून र सोको मापदण्ड बनाएको छैन । स्थानीय तहका हरेक प्राथमिकिकरणका क्रियाकलाप संचालनमा तथ्याङ्कले महत्वपुर्ण भुमिका खेल्ने हुँदा सोको संकलन र अभिलेख राख्ने कार्यमा भित्रिका अगाडि बढाउन आवश्यक छ । तथ्याङ्क वेगर प्राथमिकतामा राखिएका योजना, वजेट, प्रक्रिया र कार्यावन्यनले उचित सार्थकता नपाउने हुदा अभिलेख व्यवस्थापन अद्यावधिक गर्नुपर्दछ । |                |                |               |           |              |  |               |                |                |            |   |                                   |           |         |          |           |           |   |                 |        |        |        |        |       |   |                 |        |        |        |        |        |   |                              |          |          |          |         |         |   |                   |          |         |         |          |         |   |                                 |        |   |   |        |       |   |   |        |   |   |        |       |   |  |          |          |   |          |   |   |   |         |   |        |         |       |    |   |         |   |   |         |   |  |       |           |          |          |           |           |  |
| ८.   | लक्ष्य प्रगतिको स्थिति - आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियम २४ मा चौमासिक प्रगती विवरण पेश गर्ने व्यवस्था छ । गाउपालीकाले सञ्चालन गरेका जिल्ला स्तरिय तथा केन्द्रिय स्तरिय आयोजनामध्ये सबै आयोजनाको उपर्युक्त नियम बमोजिम अनुसूची-२ बमोजिमको ढाँचामा प्रगती विवरण तयार गरेको छैन । नियमावलीको व्यवस्था अनुसार प्रगति प्रतिवेदन तयार गर्नु पर्दछ ।  |                |                |               |           |              |  |               |                |                |            |   |                                   |           |         |          |           |           |   |                 |        |        |        |        |       |   |                 |        |        |        |        |        |   |                              |          |          |          |         |         |   |                   |          |         |         |          |         |   |                                 |        |   |   |        |       |   |   |        |   |   |        |       |   |  |          |          |   |          |   |   |   |         |   |        |         |       |    |   |         |   |   |         |   |  |       |           |          |          |           |           |  |
| ९.   | बैंक हिसाब - कार्यालयको खाता हिसाब र बैंक हिसाब एक आपसमा भिडान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कार्यालयको यसवर्षको आमदानी रु.३२१३६७३९४.६४र खर्च रु ३१२९७४४०१ । बैंक मौज्दात रु८८२६९९८.४रहेको छ । आमदानी, खर्च, बैंक मौज्दात, नगद मौज्दात र कर दाखिला बाँकी बीच रु४३४००५०१०० फरक परेको छ । कार्यालयले बैंक हिसाब मिलान तयार नगरेकोले मौन्ज्दात रकम एकिन हुन सकेन । बैंक हिसाब मिलान तयार गरी लेखा अद्यावधिक गर्नुपर्दछ ।   |                |                |               |           |              |  |               |                |                |            |   |                                   |           |         |          |           |           |   |                 |        |        |        |        |       |   |                 |        |        |        |        |        |   |                              |          |          |          |         |         |   |                   |          |         |         |          |         |   |                                 |        |   |   |        |       |   |   |        |   |   |        |       |   |  |          |          |   |          |   |   |   |         |   |        |         |       |    |   |         |   |   |         |   |  |       |           |          |          |           |           |  |
| १०.  | चौमासिक खर्च: आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियम २३ बमोजि स्विकृत भएको कार्यक्रममा नियम २५ बमोजिम चौमासिक प्रगति विवरण बनाई पेश गर्नुपर्ने र चौमासिक कार्यलक्ष्य तथा कार्यक्रम बमोजिम कार्यसम्पादन सम्पन्न गरी कर्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कार्यालयले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार प्रथम चौमासिकमा खर्चको चाप ठेको देखिएकोले सन्तुलित खर्च व्यवस्थापन भएको देखिएन ।   |                |                |               |           |              |  |               |                |                |            |   |                                   |           |         |          |           |           |   |                 |        |        |        |        |       |   |                 |        |        |        |        |        |   |                              |          |          |          |         |         |   |                   |          |         |         |          |         |   |                                 |        |   |   |        |       |   |   |        |   |   |        |       |   |  |          |          |   |          |   |   |   |         |   |        |         |       |    |   |         |   |   |         |   |  |       |           |          |          |           |           |  |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">क्र.सं.</th> <th rowspan="2">वजेट उपशीर्षक</th> <th rowspan="2">कुल खर्च</th> <th colspan="4">चौमासिक खर्च</th> </tr> <tr> <th>प्रथम चौमासिक</th> <th>दोस्रो चौमासिक</th> <th>तेस्रो चौमासिक</th> <th>आषाढ महिना</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१</td><td>८०७६६६३ वित्तीय विभागिकरण पूँजीगत</td><td>१३१४५४२६१</td><td>१७५४०००</td><td>२६५०७४७६</td><td>१०३१९२७८५</td><td>१०२८४२३२२</td></tr> <tr> <td>२</td><td>८०७६६६३१०० समेत</td><td>९९९०००</td><td>१७७३६०</td><td>१७७३६०</td><td>२३६२८०</td><td>८८२६०</td></tr> <tr> <td>३</td><td>८०७६६६३१०० समेत</td><td>११८०००</td><td>३५४७२०</td><td>३४४६१८</td><td>४८६६६२</td><td>१७७३६०</td></tr> <tr> <td>४</td><td>८०७६६६३१०० वित्तीय विभागिकरण</td><td>६७५५८०००</td><td>२२९७६२३६</td><td>२३४०४९७७</td><td>१११७२२१</td><td>२०४०५११</td></tr> <tr> <td>५</td><td>८०७६६६३१०००० समेत</td><td>१५४४६०००</td><td>२२१४२३३</td><td>२२७०२१०</td><td>१०७४२५५७</td><td>३२९२०९४</td></tr> <tr> <td>६</td><td>३६५८९९१३१०००० वित्तीय विभागिकरण</td><td>२५५०००</td><td>०</td><td>०</td><td>२५५०००</td><td>७५०००</td></tr> <tr> <td>७</td><td>३६५८९९१३१०००० वित्तीय विभागिकरण कार्यक्रम पूँजीगत</td><td>६०००००</td><td>०</td><td>०</td><td>६०००००</td><td>४४८००</td></tr> <tr> <td>८</td><td>३६५८९९१३१०५३१०००० वित्तीय विभागिकरण नागरिक विवरण</td><td>४०३७९०००</td><td>१२६५२४००</td><td>०</td><td>२६२३८६००</td><td>०</td></tr> <tr> <td>९</td><td>३६५८९९१३१०५३४०००० वित्तीय विभागिकरण कार्यक्रम पूँजीगत</td><td>२४०००००</td><td>०</td><td>७६००००</td><td>१६४००००</td><td>२९९२१</td></tr> <tr> <td>१०</td><td>३६५८९९१३१०५३४०००० वित्तीय विभागिकरण कार्यक्रम</td><td>११८१०००</td><td>०</td><td>०</td><td>११८१०००</td><td>०</td></tr> <tr> <td></td><td>जम्मा</td><td>२६१४५०२६१</td><td>४०१२९१४९</td><td>५३४६४६३५</td><td>१६५७५३१०५</td><td>१०८९९२६६८</td></tr> </tbody> </table> | क्र.सं.   | वजेट उपशीर्षक  | कुल खर्च       | चौमासिक खर्च  |           |              |  | प्रथम चौमासिक | दोस्रो चौमासिक | तेस्रो चौमासिक | आषाढ महिना | १ | ८०७६६६३ वित्तीय विभागिकरण पूँजीगत | १३१४५४२६१ | १७५४००० | २६५०७४७६ | १०३१९२७८५ | १०२८४२३२२ | २ | ८०७६६६३१०० समेत | ९९९००० | १७७३६० | १७७३६० | २३६२८० | ८८२६० | ३ | ८०७६६६३१०० समेत | ११८००० | ३५४७२० | ३४४६१८ | ४८६६६२ | १७७३६० | ४ | ८०७६६६३१०० वित्तीय विभागिकरण | ६७५५८००० | २२९७६२३६ | २३४०४९७७ | १११७२२१ | २०४०५११ | ५ | ८०७६६६३१०००० समेत | १५४४६००० | २२१४२३३ | २२७०२१० | १०७४२५५७ | ३२९२०९४ | ६ | ३६५८९९१३१०००० वित्तीय विभागिकरण | २५५००० | ० | ० | २५५००० | ७५००० | ७ | ३६५८९९१३१०००० वित्तीय विभागिकरण कार्यक्रम पूँजीगत | ६००००० | ० | ० | ६००००० | ४४८०० | ८ | ३६५८९९१३१०५३१०००० वित्तीय विभागिकरण नागरिक विवरण | ४०३७९००० | १२६५२४०० | ० | २६२३८६०० | ० | ९ | ३६५८९९१३१०५३४०००० वित्तीय विभागिकरण कार्यक्रम पूँजीगत | २४००००० | ० | ७६०००० | १६४०००० | २९९२१ | १० | ३६५८९९१३१०५३४०००० वित्तीय विभागिकरण कार्यक्रम | ११८१००० | ० | ० | ११८१००० | ० |  | जम्मा | २६१४५०२६१ | ४०१२९१४९ | ५३४६४६३५ | १६५७५३१०५ | १०८९९२६६८ |  |
| क्र.सं.  |   |                |                | वजेट उपशीर्षक | कुल खर्च  | चौमासिक खर्च |  |               |                |                |            |   |                                   |           |         |          |           |           |   |                 |        |        |        |        |       |   |                 |        |        |        |        |        |   |                              |          |          |          |         |         |   |                   |          |         |         |          |         |   |                                 |        |   |   |        |       |   |   |        |   |   |        |       |   |  |          |          |   |          |   |   |   |         |   |        |         |       |    |   |         |   |   |         |   |  |       |           |          |          |           |           |  |
|  | प्रथम चौमासिक   | दोस्रो चौमासिक | तेस्रो चौमासिक |               |           | आषाढ महिना   |  |               |                |                |            |   |                                   |           |         |          |           |           |   |                 |        |        |        |        |       |   |                 |        |        |        |        |        |   |                              |          |          |          |         |         |   |                   |          |         |         |          |         |   |                                 |        |   |   |        |       |   |   |        |   |   |        |       |   |  |          |          |   |          |   |   |   |         |   |        |         |       |    |   |         |   |   |         |   |  |       |           |          |          |           |           |  |
| १  | ८०७६६६३ वित्तीय विभागिकरण पूँजीगत   | १३१४५४२६१      | १७५४०००        | २६५०७४७६      | १०३१९२७८५ | १०२८४२३२२    |  |               |                |                |            |   |                                   |           |         |          |           |           |   |                 |        |        |        |        |       |   |                 |        |        |        |        |        |   |                              |          |          |          |         |         |   |                   |          |         |         |          |         |   |                                 |        |   |   |        |       |   |   |        |   |   |        |       |   |  |          |          |   |          |   |   |   |         |   |        |         |       |    |   |         |   |   |         |   |  |       |           |          |          |           |           |  |
| २  | ८०७६६६३१०० समेत   | ९९९०००         | १७७३६०         | १७७३६०        | २३६२८०    | ८८२६०        |  |               |                |                |            |   |                                   |           |         |          |           |           |   |                 |        |        |        |        |       |   |                 |        |        |        |        |        |   |                              |          |          |          |         |         |   |                   |          |         |         |          |         |   |                                 |        |   |   |        |       |   |   |        |   |   |        |       |   |  |          |          |   |          |   |   |   |         |   |        |         |       |    |   |         |   |   |         |   |  |       |           |          |          |           |           |  |
| ३  | ८०७६६६३१०० समेत   | ११८०००         | ३५४७२०         | ३४४६१८        | ४८६६६२    | १७७३६०       |  |               |                |                |            |   |                                   |           |         |          |           |           |   |                 |        |        |        |        |       |   |                 |        |        |        |        |        |   |                              |          |          |          |         |         |   |                   |          |         |         |          |         |   |                                 |        |   |   |        |       |   |   |        |   |   |        |       |   |  |          |          |   |          |   |   |   |         |   |        |         |       |    |   |         |   |   |         |   |  |       |           |          |          |           |           |  |
| ४  | ८०७६६६३१०० वित्तीय विभागिकरण  | ६७५५८०००       | २२९७६२३६       | २३४०४९७७      | १११७२२१   | २०४०५११      |  |               |                |                |            |   |                                   |           |         |          |           |           |   |                 |        |        |        |        |       |   |                 |        |        |        |        |        |   |                              |          |          |          |         |         |   |                   |          |         |         |          |         |   |                                 |        |   |   |        |       |   |   |        |   |   |        |       |   |  |          |          |   |          |   |   |   |         |   |        |         |       |    |   |         |   |   |         |   |  |       |           |          |          |           |           |  |
| ५  | ८०७६६६३१०००० समेत   | १५४४६०००       | २२१४२३३        | २२७०२१०       | १०७४२५५७  | ३२९२०९४      |  |               |                |                |            |   |                                   |           |         |          |           |           |   |                 |        |        |        |        |       |   |                 |        |        |        |        |        |   |                              |          |          |          |         |         |   |                   |          |         |         |          |         |   |                                 |        |   |   |        |       |   |   |        |   |   |        |       |   |  |          |          |   |          |   |   |   |         |   |        |         |       |    |   |         |   |   |         |   |  |       |           |          |          |           |           |  |
| ६  | ३६५८९९१३१०००० वित्तीय विभागिकरण   | २५५०००         | ०              | ०             | २५५०००    | ७५०००        |  |               |                |                |            |   |                                   |           |         |          |           |           |   |                 |        |        |        |        |       |   |                 |        |        |        |        |        |   |                              |          |          |          |         |         |   |                   |          |         |         |          |         |   |                                 |        |   |   |        |       |   |   |        |   |   |        |       |   |  |          |          |   |          |   |   |   |         |   |        |         |       |    |   |         |   |   |         |   |  |       |           |          |          |           |           |  |
| ७  | ३६५८९९१३१०००० वित्तीय विभागिकरण कार्यक्रम पूँजीगत   | ६०००००         | ०              | ०             | ६०००००    | ४४८००        |  |               |                |                |            |   |                                   |           |         |          |           |           |   |                 |        |        |        |        |       |   |                 |        |        |        |        |        |   |                              |          |          |          |         |         |   |                   |          |         |         |          |         |   |                                 |        |   |   |        |       |   |   |        |   |   |        |       |   |  |          |          |   |          |   |   |   |         |   |        |         |       |    |   |         |   |   |         |   |  |       |           |          |          |           |           |  |
| ८  | ३६५८९९१३१०५३१०००० वित्तीय विभागिकरण नागरिक विवरण  | ४०३७९०००       | १२६५२४००       | ०             | २६२३८६००  | ०            |  |               |                |                |            |   |                                   |           |         |          |           |           |   |                 |        |        |        |        |       |   |                 |        |        |        |        |        |   |                              |          |          |          |         |         |   |                   |          |         |         |          |         |   |                                 |        |   |   |        |       |   |   |        |   |   |        |       |   |  |          |          |   |          |   |   |   |         |   |        |         |       |    |   |         |   |   |         |   |  |       |           |          |          |           |           |  |
| ९  | ३६५८९९१३१०५३४०००० वित्तीय विभागिकरण कार्यक्रम पूँजीगत   | २४०००००        | ०              | ७६००००        | १६४००००   | २९९२१        |  |               |                |                |            |   |                                   |           |         |          |           |           |   |                 |        |        |        |        |       |   |                 |        |        |        |        |        |   |                              |          |          |          |         |         |   |                   |          |         |         |          |         |   |                                 |        |   |   |        |       |   |   |        |   |   |        |       |   |  |          |          |   |          |   |   |   |         |   |        |         |       |    |   |         |   |   |         |   |  |       |           |          |          |           |           |  |
| १०   | ३६५८९९१३१०५३४०००० वित्तीय विभागिकरण कार्यक्रम   | ११८१०००        | ०              | ०             | ११८१०००   | ०            |  |               |                |                |            |   |                                   |           |         |          |           |           |   |                 |        |        |        |        |       |   |                 |        |        |        |        |        |   |                              |          |          |          |         |         |   |                   |          |         |         |          |         |   |                                 |        |   |   |        |       |   |   |        |   |   |        |       |   |  |          |          |   |          |   |   |   |         |   |        |         |       |    |   |         |   |   |         |   |  |       |           |          |          |           |           |  |
|  | जम्मा   | २६१४५०२६१      | ४०१२९१४९       | ५३४६४६३५      | १६५७५३१०५ | १०८९९२६६८    |  |               |                |                |            |   |                                   |           |         |          |           |           |   |                 |        |        |        |        |       |   |                 |        |        |        |        |        |   |                              |          |          |          |         |         |   |                   |          |         |         |          |         |   |                                 |        |   |   |        |       |   |   |        |   |   |        |       |   |  |          |          |   |          |   |   |   |         |   |        |         |       |    |   |         |   |   |         |   |  |       |           |          |          |           |           |  |
| ११.  | कर्मचारी व्यवस्था :निजामती सेवा ऐन, २०४९ बमोजिम कर्मचारी पदपुर्ति रु व्यवस्थापन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । गाउपालिकामा रहने कर्मचारी दरवन्दी २९ रहेपनि पदपूर्ति १७ रहेको देखियो । सहायक १२ पद रिक्त रहेका छन । ति मध्ये २ जना करारमा राखि तलब शिर्षकवाट रु. ३७५०००। खर्चकार्य संचालन गरिएको छ ।  |                |                |               |           |              |  |               |                |                |            |   |                                   |           |         |          |           |           |   |                 |        |        |        |        |       |   |                 |        |        |        |        |        |   |                              |          |          |          |         |         |   |                   |          |         |         |          |         |   |                                 |        |   |   |        |       |   |   |        |   |   |        |       |   |  |          |          |   |          |   |   |   |         |   |        |         |       |    |   |         |   |   |         |   |  |       |           |          |          |           |           |  |

|      |   |        |
|------|---|--------|
| १२.  | <b>एकीकृत विवरण :</b> स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७२ वमोजिम प्रत्येक आर्थिक वर्ष आय व्ययको एकीकृत लेखा बनाई पेशगर्नुपर्ने व्यवस्था छ। कार्यालयले तयार गरेको एकीकृत आर्थिक विवरणमा सबै विषयगत क्षेत्रको कारोबार समेटिएको छ।  |        |
| १३.  | <b>विद्युतीय लेखा :</b> अर्थ मन्त्रालयको च.नं.२९३ मिति २०७४।१।२ को प्रदेश तथा स्थानीय तह सञ्चित कोषका व्यवस्थापन प्रणाली कार्यान्वयन सम्बन्धी पत्रानुसार बजेट तर्जुमा कार्यान्वयन आर्थिक व्यवस्थापन तथा सम्पति हस्तान्तरण निर्देशिका २०७४ को वूँदा नं.५.१० मा सबै स्थानीय तहहरूले Sub National Treasury Regulatory application (SUTRA) प्रयोग गरी लेखा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ। सबै स्थानीय तहले सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट User ID तथा Password प्राप्त गरी आफ्नो सञ्चित कोषको हिसाब लगायत बजेट निर्माण, लेखापालन र प्रतिवेदनका लागि यस प्रणालीको उपयोग गर्ने उल्लेख गरेकोमा यो वर्ष नगरपालिकाले SUTRA प्रयोगमा त्याएको देखिएन। अतः SUTRA प्रयोग गरी लेखा प्रणाली व्यवस्थित गर्नुपर्दछ। |        |
| १३.१ | <b>प्रोद्भावी लेखा :</b> स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन नियमावली, २०६४ को नियम १९ अनुसार नगरपालिकाको लेखा दोहोरो श्रेस्ता प्रणालीको सिद्धान्तमा आधारित प्रोद्भावी लेखा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ। नगरपालिकाले सो अनुसार लेखा राखेको देखिएन। यसरी तयार गरिएका आर्थिक विवरणले वास्तविक आय र खर्चको यथार्थ स्थिति देखाउँदैन भने शीर्षकगत खर्चको स्थिति समेत विश्लेषण गर्न सकिएन।  |        |
| १३.२ | <b>आर्थिक वर्ष र आय व्ययको लेखा :</b> स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७२(२) मा नगरपालिकाले नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिमको आय व्ययको वर्गीकरण तथा खर्च शीर्षक सम्बन्धी व्यवस्था अवलम्बन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ र उपदफा (३) मा त्यसरी वर्गीकरण गर्दा मूल शीर्षकमा फरक नपर्ने गरी आय तथा व्ययको थप वर्गीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था छ। नगरपालिकाले यो वर्ष त्यसरी वर्गीकरण गरी बजेट व्यवस्था गरेको र आय व्ययको लेखा राखेको देखिएन। तोकिए बमोजिम लेखा अद्यावधिक गर्नुपर्दछ।  |        |
| १४.  | <b>बक्यौता रकम असुली-</b> स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद ९ वित्तिय अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत विभिन्न कर तथा शुल्क लगाउने र लगाती आय वापत बक्यौता रकम समेत असुली गर्ने व्यवस्था छ। गाउँपालिकाले गत बिगत देखिको बक्यौता आयको हिसाब एकीकृत गरी लगात तयार गरेको छैन। अतः बक्यौता हिसाबको लगात राखी बाकी असुल गर्नुपर्दछ।  |        |
| १५.  | <b>विशेष भत्ता -</b> नेपाल सरकारबाट स्थानीय निकायमा खटिएकाका निजामती कर्मचारी, मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको प्रशासन अनुदानका कर्मचारीको तलब, भत्ता, दैनिक भ्रमण भत्ता र कार्यालय सञ्चालन खर्च, क्षमता विकास खर्च, सामाजिक परिचालान खर्च पाउने व्यवस्था छ। केन्द्रिय चालु अनुदानबाट चैत्रदेखि अषाढसम्ममा विभिन्न ६ कर्मचारीलाई अन्य भत्ता रु.५८००००। खर्च लेखेको छ। नेपाल सरकारले तोकिएको काम गरे बापत तलब भत्ता सुविधा उपलब्ध गराएको अवस्थामा कुन काम कति अतिरिक्त समय कार्य गरी कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्सहन भत्ता भुक्तानी भएको हो सो समेत खुल्दैन। स्पष्ट आधार एवं कार्यविधि विना तथा नियमावलीमा स्पष्ट उल्लेख गरेभन्दा फरक कार्यमा खर्च लेखेको रकम असुल उपर हुनुपर्दछ।                                | ५८०००० |
| १६.  | <b>सशर्त अनुदान-</b> संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प.सं.०७४।३५ च.नं.१०६४ मिति २०७४।३३ को सशर्त अनुदान रकम फिर्ता सम्बन्धी विषयको पत्र अनुसार विभिन्न तीन किस्तामा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएको र सशर्त अनुदानमा मुख्यतया शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि पशु पक्षी मन्त्रालय लगायतबाट प्राप्त भएको रकम आषाढ मसान्तसम्म खर्च हुन नसकेको रकम संघीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकोमा गाउँपालिकाले रु.२५८८७। खर्च नभई बाँकी रकम संघीय सञ्चित कोषमा दाखिला भएको छ।   |        |
| १७.  | <b>राजशब अभिलेख :</b> आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ को परिच्छेद ४ दफा १२ र १३ ले राजस्वको अभिलेख अध्यावधिक गरी सोको लेखापरीक्षण गराउने जिम्मेवारी कार्यालय प्रमुखको हुने व्यवस्था रहेको छ। स्थानीय तहहरूबाट लेखापरीक्षणको क्रममा राजस्व आमदानीको निर्णय देखि असुली तथा दाखिला सम्मका अभिलेख व्यवस्थित गरी श्रेस्ता राखेको छ। तर राजशब असुली प्रत्येक वडा कार्यालयबाट समेत हुने भएतापनी कार्यालयले तोकिएको रसिद छपाई गरी वडा लाई दिनुपर्ने, सो को रसिद नियन्त्रण खाता राख्नुपर्नेमा सो अभिलेख राखेको देखिएन। यसवाट स्थानीय तहको वास्तविक राजस्व असुली र दाखिला एकिन हुन सकेन। बर्तमान स्थानीय तहवाट समेत यसमा विशेष ध्यान दिई आन्तरिक आयको उचित अभिलेखाङ्कन तथा परिचालन गर्नुपर्दछ।                            |        |
| १८.  | <b>सम्पति हस्तान्तरण :</b> स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ९७, ९८ र १०४ अनुसार विषयगत कार्यालयको चल अचल सम्पति, दायित्व तथा अभिलेख त्यसरी कायम भएका गाउँपालिकामा स्वतः हस्तान्तरण हुने व्यवस्था छ। यसरी हस्तान्तरण हुने सम्पूर्ण सम्पत्तिको अभिलेख तथा जिन्सी लगात खाता २०७५ असार मसान्त भित्र स्थानीय तहले तयार गरी प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकोमा गाउँपालिकाले यसरी हस्तान्तरीत सम्पत्तिको अभिलेख तथा जिन्सी  |        |

|      | लगत तयार नगरेको, कम्प्युटर, ल्यापटप, प्रिन्टर, मोबाइल फोन सेट र अन्य फर्निचर जस्ता मूल्यवान समानहरु जिम्मेवारी सारेको पाईएन । यसरी जिन्सी मालसामानको आम्दानी नजनाउँदा जिन्सी मालसामानहरु हराउन, हिनामिना हुन सक्ने हुँदा साविकका स्थानिय निकायबाट हस्तान्तरण हुनु पर्ने खप्ने मालसामानहरुको प्रकृति अनुसार सम्बन्धित जिन्सी खातामा आम्दानी बाधि अद्यावधिक गर्नुपर्दछ ।  |                          |                 |                          |            |   |                        |   |        |   |                         |  |        |   |                          |  |        |  |
|------|---|--------------------------|-----------------|--------------------------|------------|---|------------------------|---|--------|---|-------------------------|--|--------|---|--------------------------|--|--------|--|
| १९.  | <b>बरबुझारथ :</b> मन्त्रालयको मिति २०७३१ र २५ को आर्थिक कारोबार तथा खाता सञ्चालन सम्बन्धमा थप स्पष्ट पारिएको परिपत्रको दफा १७ बमोजिम गाउँपालिकामा समाहित भएका साविकका गाउँ विकास समितिको नाममा रहेको पेशकी तथा बेरुजु अभिलेख समायोजन भएको गाउँपालिकामा कायम गरी नियमानुसार पेशकी फछ्यौट तथा बेरुजु सम्परीक्षण कार्य गर्नुपर्नेमा जिन्सी सामन, भवन लगायतका सम्पति यस गाउँपालिकामासमाहित भएका साविकका विषयगत कार्यालयको बेरुजू लगत तथा सम्परीक्षणको अभिलेख गाउँपालिकाले एकिन गरी अद्यावधिक गरेकोले देखिएन । साविकमा निकायगतरूपमा कायम जिन्सी, भवन, पेशिक गाउँपालिकाले अद्यावधिक गरी फरफारकको व्यवस्था अविलम्ब मिलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ ।  |                          |                 |                          |            |   |                        |   |        |   |                         |  |        |   |                          |  |        |  |
| २०.  | <b>सञ्चित कोष :</b> स्थानीय तहको सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्ध आदेश, २०७४ को दफा ६३ अनुसार गाउँपालिकाको स्थानीय सञ्चित कोषसंग आवद्ध हुने गरी वडामा एक खर्च खाता रहने तथा चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यमा वडाको खर्च खातामा रहेको सबै वाँकी रकम सम्बन्धित स्थानिय तहको संचित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेता पनि साविकका गाउँ विकास समिति र वडाहरूले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा वाँकि रहेको रकम सञ्चित कोषमा एकिन गरी दाखिला गरेको नदेखिएकोले आदेशको पालना गरी उक्त रकम सञ्चित कोषमा दाखिला गरिनु पर्दछ ।  |                          |                 |                          |            |   |                        |   |        |   |                         |  |        |   |                          |  |        |  |
| २१.  | <b>स्रोत नक्सांकन :</b> स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४को दफा ११ बमोजिम प्रत्येक गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रको शैक्षिक, भौगोलिक अवस्था, प्राकृतिक श्रोत अन्तर्गत खानी, जंगल तथा अन्य श्रोत, पूर्वाधार अन्तर्गत सडक, पुल, खानेपानी लगायतको अभिलेख तथा श्रोत नक्सांकन वा गाउँपालिकाको प्रोफाईल तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था अनुरूप कार्यालयले श्रोत नक्सांकन सहितको प्रोफाईल तयार गरेको छ । सो प्रोफाईलको आधारमा दिर्घ एव मध्यमकालीन योजना तर्जुमा गरेको पाइएन यसमा उल्लेखित श्रोतको प्राप्ती तथा उपयोगमा ध्यान दिनुपर्दछ ।  |                          |                 |                          |            |   |                        |   |        |   |                         |  |        |   |                          |  |        |  |
| २२.  | <b>प्राकृतिक स्रोतको शुल्क :</b> स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४को दफा ११ बमोजिम प्रत्येक गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रको आयजन्य स्रोतको शुल्क निर्धारण गर्दा प्रदेश सरकारले तोकेको दरमा नबढने गरी शुल्क निर्धारण गर्नु पर्नेमा प्रदेश सरकारले शुल्कको दर रेट नतोकेका कारण गाउँ सभाले दर तय गरी आन्तरीक आय असुल गरेको छ । ऐन, २०७४को दफा ११ मा तोके अनुसारको प्रकृया अबलम्बन गरी शुल्क तोक्ने व्यवस्था हुनु पर्दछ ।  |                          |                 |                          |            |   |                        |   |        |   |                         |  |        |   |                          |  |        |  |
| २३.  | <b>पेशकी - आर्थिक कार्यविधि नियमावली,</b> २०६४ को नियम ८० अनुसार पेशकी फछ्यौट हुनुपर्दछ । समयमा पेशकी फछ्यौट नगरेमा सम्पूर्ण पेशकी रकममा म्याद नाधेको मितिले वार्षिक १५ प्रतिशतका दरले व्याज समेत असूल गर्ने व्यवस्था छ । प्राप्त विवरण अनुसार गाउँपालिकाको व्याकित तथा निकायको नाममा रु. ८८७०००/ पेशकी फछ्यौट नभई वाँकी रहेकोले नियमानुसार फछ्यौट हुनुपर्दछ ।  | ८८७०००/                  |                 |                          |            |   |                        |   |        |   |                         |  |        |   |                          |  |        |  |
|      | <table border="1"> <thead> <tr> <th>सिनं</th><th>पेशिकलिनेको नाम</th><th>गतवर्ष सम्मको पेशिक बाकि</th><th>पेशिक वाकि</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१</td><td>हटैराज सडक विस्तार उ.स</td><td>०</td><td>५६००००</td></tr> <tr> <td>२</td><td>अ.हे व प्रेम कुमार दमाई</td><td></td><td>२९६०००</td></tr> <tr> <td>३</td><td>हे.अ पूर्ण बहादुर बराइली</td><td></td><td>१११०००</td></tr> </tbody> </table>   | सिनं                     | पेशिकलिनेको नाम | गतवर्ष सम्मको पेशिक बाकि | पेशिक वाकि | १ | हटैराज सडक विस्तार उ.स | ० | ५६०००० | २ | अ.हे व प्रेम कुमार दमाई |  | २९६००० | ३ | हे.अ पूर्ण बहादुर बराइली |  | १११००० |  |
| सिनं | पेशिकलिनेको नाम   | गतवर्ष सम्मको पेशिक बाकि | पेशिक वाकि      |                          |            |   |                        |   |        |   |                         |  |        |   |                          |  |        |  |
| १    | हटैराज सडक विस्तार उ.स  | ०                        | ५६००००          |                          |            |   |                        |   |        |   |                         |  |        |   |                          |  |        |  |
| २    | अ.हे व प्रेम कुमार दमाई   |                          | २९६०००          |                          |            |   |                        |   |        |   |                         |  |        |   |                          |  |        |  |
| ३    | हे.अ पूर्ण बहादुर बराइली  |                          | १११०००          |                          |            |   |                        |   |        |   |                         |  |        |   |                          |  |        |  |
| २४.  | <b>कार्यसम्पन्न प्रतिवेदनः</b> सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १२५ अनुसार खरिद सम्झौतामा उल्लेखित अवधिभित्र कार्यसम्पन्न गरी प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । गाउँपालिका कार्यालयबाट २५१ वटा निर्माण कार्य का लागी रु १५ करोड ५२ लाख ६२ हजार बजेट बिनियोजन भई रु १५ करोड १६ लाख ९० हजार खर्च भएको विवरणमा उल्लेख छ । सबै योजनाहरु आषाढ मसान्त भित्र सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भएकोमा लेखापरीक्षण अवधिसम्म विभिन्न योजना मध्ये १० योजनाको निर्माण कार्य अधुरो रहेको छ । तोकिएको समय भित्र स्वीकृत कार्यक्रम अनुसारको कार्यसम्पन्न गरी प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्दछ ।   |                          |                 |                          |            |   |                        |   |        |   |                         |  |        |   |                          |  |        |  |
| २५.  | <b>उपभोक्ता समितिबाट भएको खर्च :</b> सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ९७ अनुसार उपभोक्ता समितिबाट काम गराउदा सम्पन्न निर्माण कार्यको सञ्चालन उपभोक्ता समितिले गर्नु पर्ने, खर्चको सूचना सार्वजनिक गर्नु पर्ने, निर्माण कार्यमा लोडर, एक्साम्प्टर, मेशीनहरू प्रयोग गर्न नहुने व्यवस्था छ । नियमावलीको नियम ९७ (११) अनुसार उपभोक्ता समितिका लाभग्राही समुदायले निर्माण कार्य सम्पन्न गरी सकेपछि सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले खटाएको प्राविधिक कर्मचारीबाट त्यस्तो कामको जाँचपास गराई त्यस्तो निकायबाट प्राप्त रकम र जन सहभागिताबाट व्यहोरिएको लाभ, नगद वा जिन्सी समेत कूल खर्चको विवरण सो निकायमा पेश गर्नु पर्ने र सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले त्यसरी प्राप्त भएको विवरणको अभिलेख राख्नु पर्ने व्यवस्था भएकोमा कार्यालयमा शार्त अनुदानबाट संचालीत कार्यक्रमका लागि २२४ वटा उपभोक्ता |                          |                 |                          |            |   |                        |   |        |   |                         |  |        |   |                          |  |        |  |

समितिसँग रु ११ करोड ५० लाख बरावरको सम्भौता सम्पन्न भएको उल्लेख छ । कार्यालयले अभिलेखको रूपमा नापी कितावमानिर्माण कार्यमा लोडर, एक्साभेटर, मेशीनहरू प्रयोग गर्ने गरी स्वीकृत लागत इष्टमेट अनुसार उपभोक्ता समितिलाई गएको भुक्तानी तर्फको सम्भौता अंकबाट कुल मुल्यांकन भएको कामको मुल्यमा ८० प्रतिशतएकिन गरी बाँकी हुन आउने रकम एकमुष्ट उपभोक्ताको तर्फबाट भएको जनश्रमदानको अंश भनि उल्लेख गरेको अवस्था देखियो । अतः ग्रामिण सडक, सिंचाइ कुलो, मठ मन्दिर निर्माण पहिरो नियन्त्रण, बिद्यालय फिल्ड, ग्राउण्ड निर्माण गोरेटो घोरेटो बाटो पि.सी.सी लगायतका विभिन्न योजनाको कार्यान्वयनमा सम्भौतामा उल्लेखित जनश्रमदानको कामको स्पष्ट मूल्यांकन गरि आइटम वाइज कामको प्रगति भुक्तानी विलमा किटानी साथ उल्लेख गरी जनश्रमदानको अभिलेख अद्यावधिक गर्नु पर्दछ । अत कार्यालयले स्वीकृत कार्यक्रमहरु उपभोक्ताबाट कार्यान्वयन गराएको सन्दर्भमा निर्माण कार्यको अद्यावधिक अभिलेख राख्ने व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।

|     |  |
|-----|--|
| २६. | <b>लक्षित समूह खर्च :</b> स्थानीय निकाय श्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०६९ को दफा नं १२ (७) अनुसार लक्षीत समुहको मागको आधारमा लक्षीत समुहको पूजी निर्माण, सेवा प्रवाहमा गुणस्तरिय सुधार, क्षमता विकासको मापन गर्न सकिने ठोस कार्यक्रम र आयोजनामा मात्र रकम विनियोजन र खर्च गर्न सकिने व्यवस्था छ । कुनैपनि प्रकारका वितरणमुखि कार्यक्रम, सभा सम्मेलन वा गोष्ठिमा खर्च गर्न नपाइने व्यवस्था भएकोमा गाउँपालीकाले दलित महिला संघ, पेशागत संघ संगठनको क्षमता विकास गोष्ठी दिवसिय पर्वहरु, जस्ता वितरणमुखि कार्यक्रममा समेत रु. १२४६९०००- खर्च गरेको देखिएकोले कार्यविधिको परिपालना नभएको उदाहरण निन्न अनुसार देखिएकोले सो रकम नियमित हुनुपर्ने रु १२४६९०००- |
|-----|--|

| सि. नं. | कार्यक्रमको नाम   | बडा नं. | वार्षिक बजेट | खर्च    |
|---------|---|---------|--------------|---------|
| १       | कृषि उपकरण खरिद, पोलीहाउस, वितरण अवलोकन भ्रमण                               | १       | ७०००००       | ७०००००  |
| २       | कृषि उपकरण खरिद, पोलीहाउस, वितरण अवलोकन भ्रमण                               | २       | २४५०००       | २४५०००  |
| ३       | कृषि उपकरण खरिद, पोलीहाउस, वितरण अवलोकन भ्रमण                               | ३       | १००००००      | १०००००० |
| ४       | कृषि उपकरण खरिद, पोलीहाउस, वितरण अवलोकन भ्रमण                               | ४       | ११०००००      | ११००००० |
| ५       | कृषि उपकरण खरिद, पोलीहाउस, वितरण अवलोकन भ्रमण                               | ५       | १००००००      | १०००००० |
| ६       | कृषि उपकरण खरिद, पोलीहाउस, वितरण अवलोकन भ्रमण                               | ६       | ६०००००       | ६०००००  |
| ७       | कृषि कार्यक्रम  | ७       | ५००००        | ५००००   |
| ८       | व्यवसायक वार्षि पालन  |         | १२०००००      | १२००००० |
| ९       | व्यवसायक कुद्दा पालन  |         | ६०००००       | ६०००००  |
| १०      | व्यवसायिक तरकारी खेतीमा   |         | १२०००००      | १२००००० |
| ११      | जनसेवा कृषि सहकारी संस्था लाई   | ३       | १३००००       | १३००००  |
| १२      | माहिला तिज कार्यक्रम  | ४       | ५००००        | ५००००   |
| १३      | दलित असायहलाई पोषण कार्यक्रम  | १       | ४००००        | ४००००   |
| १४      | सहकारी संस्थालाई अनुदान   | २       | ५००००        | ५००००   |
| १५      | अपांग असायहलाई सहयोग  | २       | ५००००        | ५००००   |
| १६      | बडा कार्यालय अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्थापन                                     | २       | १०००००       | १०००००  |
| १७      | फारिनचर खरिद ना. स. केन्द्र   | २       | ५००००        | ५००००   |
| १८      | प्रहरी चौकी कुलाउलाई फारिनचर खरिद   | ३       | २००००        | २००००   |
| १९      | बालविकास तर्फ   | ६       | ४५०००        | ४५०००   |
| २०      | बाल विवाह मुक्त जन जनवेता मुक्त कार्यक्रम                                   | ५       | ६००००        | ६००००   |
| २१      | दैवक प्रकोप पाँडित घर परिवारलाई आ. स.                                       | ५       | ५००००        | ५००००   |
| २२      | पशु औषधि खरिद   | ५       | ३००००        | ३००००   |
| २३      | बालविकासको खेलकुद सामग्री खरिद  | ५       | १०००००       | १०००००  |
| २४      | संघ संस्था कार्यालय व्यवस्थापन खर्च   | ५       | ४००००        | ४००००   |
| २५      | अपांगहलाई आ. स.   | ५       | १०००००       | १०००००  |
| २६      | घम्टी शिविर संचालन गर्ने २ ठाउँमा   |         | २०००००       | २०००००  |
| २७      | रोगागर मूलक, सिपमूलक, क्षमता अभिवृद्धि तालिम संचालन गर्ने प्रत्येक बडाहरूमा |         | ३००००००      | ३०००००० |
| २८      | घोट्टी टर्की ममत  | ४       | ५१०००        | ५१०००   |
| २९      | माहिला सचेतना मुलक तथा क्षमता विकास कार्यक्रम                               |         | ३०००००       | ३०००००  |
| ३०      | दलित सचेतना मुलक तथा क्षमता विकास   |         | ३०००००       | ३०००००  |

|     |  |
|-----|--|
| २७. | <b>सामाजिक सुरक्षा :</b> संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पंस. ०७४१०७५, चं नं. १०६४ मिति ०७५। शर्त अनुदानको रकम मध्ये खर्च नभई वाँकी रहेमा संघिय संचितकोमा फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन नियमावली, २०६४ को नियम २२(६) मा नेपाल सरकारवाट रकम खर्च नभई वाँकी रहेमा फिर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि सम्बन्धित निकायमा फिर्ता पठाउनुपर्ने उल्लेख छ । गाउँपालीकाको कार्यालयले यो वर्ष सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत पहिलो, दोस्रो तोस्रो किस्ता रु. ४०३७९०००। निकासा भएकोमा गाउँपालीकाले रु. ३७५८९८००। निकासा खर्च लेखि रु २७९७२००। कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा निकासा फिर्ता भएको छ । |
|-----|--|

|     |  |
|-----|--|
| २८. | सेवा करार - सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९४(१) मा कार्यालय सुरक्षा, चिह्निपत्र ओसार पसार, सरसफाई, विद्युत र धारा सञ्चालन र रेखदेख लगायतका सार्वजनिक निकायको दैनिक कार्य सञ्चालन गर्न अत्यावश्यक पर्ने सेवा करार लिनुपर्दा कुनै व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीसंग करार गरी त्यस्तो सेवा करारमा लिन सक्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै नियम ३ मा एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी शुल्क लाग्ने सेवाको करार गर्नुपर्दा सूचना पत्रिकामा प्रकाशन गरी प्रक्रियावमोजिम करार सेवा |
|-----|--|

|                   | लिनुपर्ने व्यवस्था छ । गाउँपालिकाले स्वीकृत दरबन्दि अनुसार पदपुर्तिको हुन नसकेको भनी विभिन्न मितिमा सम्झौता गरी कार्यपालिकाबाट सिफारिस देहायका २ जना कर्मचारी नियुक्ती गरी रु. ३७५०००। खर्च लेखेको पाइयो । यसरी नियममा व्यवस्था भए अनुरूपको प्रक्रिया पूरा गरी सेवा करार लिनुपर्नेमा कार्यपालीकाबाट सिफारिसको आधारमा स्थायी पदपुर्ति भएमा स्वत खारेज हुने शर्त लागू हुने गरी करार सेवा गरी यस आ.ब.मा रु. ३७५००० खर्च गरेको रकम अनियमित देखिएको रु ३७५०००।   | ३७५०००।       |                      |                            |                      |                            |             |              |  |  |  |  |  |             |          |         |  |          |  |            |          |         |  |         |  |            |        |        |         |   |         |              |         |         |        |   |        |         |         |          |   |         |   |                   |          |          |          |   |          |       |  |          |          |          |          |  |
|-------------------|---|---------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|-------------|--------------|--|--|--|--|--|-------------|----------|---------|--|----------|--|------------|----------|---------|--|---------|--|------------|--------|--------|---------|---|---------|--------------|---------|---------|--------|---|--------|---------|---------|----------|---|---------|---|-------------------|----------|----------|----------|---|----------|-------|--|----------|----------|----------|----------|--|
| २९.               | आर्थिक सहायता: कार्यालयले आन्तरिक पूजीगत खर्च शीर्षक तथा अन्य शीर्षकबाट खर्चको विल भरपाई बेगर निवेदनमा तोक आदेशका आधारमा ६५ जनालाई रु. ६०८०००। आर्थिक सहायता भुक्तानी भएको छ । प्रशासकिय प्रमुखले बढीमा एकपटकमा रु. ३ हजार सम्म आर्थिक सहायता दिन सक्ने नियमावलीको व्यवस्था पालना हुन सकेको देखिएन । निवेदनका आधारमा मात्र आर्थिक सहायता दिने कार्य नियन्त्रण हुनु पर्दछ । आर्थिक सहायतको कार्यविधि स्वीकृत बेगर भएको खर्च अनियमित देखिएको रु   | ६०८०००        |                      |                            |                      |                            |             |              |  |  |  |  |  |             |          |         |  |          |  |            |          |         |  |         |  |            |        |        |         |   |         |              |         |         |        |   |        |         |         |          |   |         |   |                   |          |          |          |   |          |       |  |          |          |          |          |  |
| ३०.               | आन्तरिक आय : स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६६ वमोजिमस्रोत अनुमान तथा वजेट सीमा निर्धारण समितिले गाउँपालिकामा प्राप्त हुने आन्तरीक आय समेतको व्यवस्थापन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । सिफारिस व्यक्तिगत घटना दर्ता, भूमिकर, मालपोत, प्रशासनिक दण्ड जरीवाना लगायतका शीर्षकगतआन्तरिक आय दस्तुर रु १३ लाख २६ हजार आम्दानी प्रक्षेपण गरीएकोमा रु. ६०८९००। असुल भई सो मध्ये रु. ६०८९०० दाखिला गरेको छ ।   |               |                      |                            |                      |                            |             |              |  |  |  |  |  |             |          |         |  |          |  |            |          |         |  |         |  |            |        |        |         |   |         |              |         |         |        |   |        |         |         |          |   |         |   |                   |          |          |          |   |          |       |  |          |          |          |          |  |
| ३१.               | तलबी प्रतिबेदन : निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ वमोजिम स्थानीय तह अन्तर्गतका कर्मचारीहरुको वार्षिक तलबी प्रतिबेदन आन्तरीक लेखापरीक्षकबाट पारीत गराई तलब खर्च लेखुपर्नेमा कार्यालयले प्रशासन तर्फका कर्मचारीको तलब रु.१०११८४६। खर्च लेखेकोमा तलबी प्रतिबेदन पारित गरेको छैन । तलबी प्रतिबेदन पारित गरेर मात्र तलब खर्च लेखुपर्दछ ।   |               |                      |                            |                      |                            |             |              |  |  |  |  |  |             |          |         |  |          |  |            |          |         |  |         |  |            |        |        |         |   |         |              |         |         |        |   |        |         |         |          |   |         |   |                   |          |          |          |   |          |       |  |          |          |          |          |  |
| ३२.               | कार्यक्रम बेगरको खर्च: स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७३ मा खर्च गर्ने अस्तियारी र कार्यविधि उल्लेख छ । यस वर्षको कार्यक्रममा नरहेकोमा गाउँपालिकालाई संघिय संरचना पुर्वाधार विकास कार्यक्रममा विनियोजित वजेट रकमान्तर गरि अन्य विभिन्न कार्यक्रममा रु ३६७००००। खर्च लेखेको छ । नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुरूप कार्यक्रम संचालन गरेको नदेखिएकाले खर्च रकम अनियमित देखिएको रु ३६७००००   | ३६७००००       |                      |                            |                      |                            |             |              |  |  |  |  |  |             |          |         |  |          |  |            |          |         |  |         |  |            |        |        |         |   |         |              |         |         |        |   |        |         |         |          |   |         |   |                   |          |          |          |   |          |       |  |          |          |          |          |  |
| ३३.               | सार्वजनिक परिक्षण: स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ वमोजिम स्थानीय तहले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी ,दिगो र भरपर्दो वनाउन कार्यक्रमको सामाजिक परिक्षण अन्तर्गत सार्वजनिक परिक्षण र सार्वजनिक सुनुवाई गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कार्यालयले सार्वजनिक परिक्षण र सार्वजनिक सुनुवाई का लागि वजेट विनियोजन नगरेको वर्षान्तमा कार्यपालीकाले १,४७,८९। रकमान्तर बाट व्यवस्था गरी सार्वजनिक सुनुवाई संचालन खर्च भएको छ । कार्यालयले नै आफुले सम्पादीत वार्षिक कार्यहरुको सार्वजनिक परिक्षण र सार्वजनिक सुनुवाई गरी खर्चको पारदर्शिता कायम गर्ने तर्फ प्रयास गर्नु पर्दछ ।  |               |                      |                            |                      |                            |             |              |  |  |  |  |  |             |          |         |  |          |  |            |          |         |  |         |  |            |        |        |         |   |         |              |         |         |        |   |        |         |         |          |   |         |   |                   |          |          |          |   |          |       |  |          |          |          |          |  |
| ३४.               | रकमान्तर: स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७९ मा स्थानीय तहले स्वीकृत वजेटको अधिनमा रही कुनै शीर्षकबाट पूँजिगत शीर्षकमा २५ प्रतिशतमा नवाढाई रकमान्तर गर्न सक्ने व्यवस्था छ । कार्यालयले वर्षान्तमा आएर विनियोजीत रकम स्वीकृत कार्यक्रममा खर्च हुन नसकेको भनि आन्तरीक तथा अन्तर शीर्षकमा पटके निर्णय गरी रकमान्तर गराई बजेट खर्च गरेको छ । यस वर्ष पटके रकमान्तर गरी खर्च भएका केही शीर्षकगत बजेट खर्चको स्थिति निम्न छन :  |               |                      |                            |                      |                            |             |              |  |  |  |  |  |             |          |         |  |          |  |            |          |         |  |         |  |            |        |        |         |   |         |              |         |         |        |   |        |         |         |          |   |         |   |                   |          |          |          |   |          |       |  |          |          |          |          |  |
|                   | <table border="1"> <thead> <tr> <th>मुल कार्यक्रम</th> <th>बजेट</th> <th>रकमान्तर सीमा</th> <th>शीर्षकगत रकमान्तर थप</th> <th>अन्तर शीर्षकगत रकमान्तर घट</th> <th>खर्च रकम रु</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>पूँजिगत तर्फ</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>भवन निर्माण</td> <td>२१००००००</td> <td>५२५००००</td> <td></td> <td>१९००००००</td> <td></td> </tr> <tr> <td>सवारी साधन</td> <td>१९२३५४७७</td> <td>४८०८८६९</td> <td></td> <td>३००००००</td> <td></td> </tr> <tr> <td>सवारी साधन</td> <td>५०००००</td> <td>१२५०००</td> <td>२००००००</td> <td>०</td> <td>२००००००</td> </tr> <tr> <td>मेशिनरी औजार</td> <td>४९३२६१५</td> <td>१२३३१५३</td> <td>५०००००</td> <td>०</td> <td>५०००००</td> </tr> <tr> <td>फर्निचर</td> <td>४००००००</td> <td>१०००००००</td> <td>०</td> <td>४००००००</td> <td>०</td> </tr> <tr> <td>सार्वजनिक निर्माण</td> <td>८९८०००००</td> <td>२०४५००००</td> <td>२३५०००००</td> <td>०</td> <td>२३५०००००</td> </tr> <tr> <td>जम्मा</td> <td></td> <td>३२८६७०२२</td> <td>२६००००००</td> <td>२६००००००</td> <td>२६००००००</td> </tr> </tbody> </table> | मुल कार्यक्रम | बजेट                 | रकमान्तर सीमा              | शीर्षकगत रकमान्तर थप | अन्तर शीर्षकगत रकमान्तर घट | खर्च रकम रु | पूँजिगत तर्फ |  |  |  |  |  | भवन निर्माण | २१०००००० | ५२५०००० |  | १९०००००० |  | सवारी साधन | १९२३५४७७ | ४८०८८६९ |  | ३०००००० |  | सवारी साधन | ५००००० | १२५००० | २०००००० | ० | २०००००० | मेशिनरी औजार | ४९३२६१५ | १२३३१५३ | ५००००० | ० | ५००००० | फर्निचर | ४०००००० | १००००००० | ० | ४०००००० | ० | सार्वजनिक निर्माण | ८९८००००० | २०४५०००० | २३५००००० | ० | २३५००००० | जम्मा |  | ३२८६७०२२ | २६०००००० | २६०००००० | २६०००००० |  |
| मुल कार्यक्रम     | बजेट  | रकमान्तर सीमा | शीर्षकगत रकमान्तर थप | अन्तर शीर्षकगत रकमान्तर घट | खर्च रकम रु          |                            |             |              |  |  |  |  |  |             |          |         |  |          |  |            |          |         |  |         |  |            |        |        |         |   |         |              |         |         |        |   |        |         |         |          |   |         |   |                   |          |          |          |   |          |       |  |          |          |          |          |  |
| पूँजिगत तर्फ      |   |               |                      |                            |                      |                            |             |              |  |  |  |  |  |             |          |         |  |          |  |            |          |         |  |         |  |            |        |        |         |   |         |              |         |         |        |   |        |         |         |          |   |         |   |                   |          |          |          |   |          |       |  |          |          |          |          |  |
| भवन निर्माण       | २१००००००  | ५२५००००       |                      | १९००००००                   |                      |                            |             |              |  |  |  |  |  |             |          |         |  |          |  |            |          |         |  |         |  |            |        |        |         |   |         |              |         |         |        |   |        |         |         |          |   |         |   |                   |          |          |          |   |          |       |  |          |          |          |          |  |
| सवारी साधन        | १९२३५४७७  | ४८०८८६९       |                      | ३००००००                    |                      |                            |             |              |  |  |  |  |  |             |          |         |  |          |  |            |          |         |  |         |  |            |        |        |         |   |         |              |         |         |        |   |        |         |         |          |   |         |   |                   |          |          |          |   |          |       |  |          |          |          |          |  |
| सवारी साधन        | ५०००००  | १२५०००        | २००००००              | ०                          | २००००००              |                            |             |              |  |  |  |  |  |             |          |         |  |          |  |            |          |         |  |         |  |            |        |        |         |   |         |              |         |         |        |   |        |         |         |          |   |         |   |                   |          |          |          |   |          |       |  |          |          |          |          |  |
| मेशिनरी औजार      | ४९३२६१५   | १२३३१५३       | ५०००००               | ०                          | ५०००००               |                            |             |              |  |  |  |  |  |             |          |         |  |          |  |            |          |         |  |         |  |            |        |        |         |   |         |              |         |         |        |   |        |         |         |          |   |         |   |                   |          |          |          |   |          |       |  |          |          |          |          |  |
| फर्निचर           | ४००००००   | १०००००००      | ०                    | ४००००००                    | ०                    |                            |             |              |  |  |  |  |  |             |          |         |  |          |  |            |          |         |  |         |  |            |        |        |         |   |         |              |         |         |        |   |        |         |         |          |   |         |   |                   |          |          |          |   |          |       |  |          |          |          |          |  |
| सार्वजनिक निर्माण | ८९८०००००  | २०४५००००      | २३५०००००             | ०                          | २३५०००००             |                            |             |              |  |  |  |  |  |             |          |         |  |          |  |            |          |         |  |         |  |            |        |        |         |   |         |              |         |         |        |   |        |         |         |          |   |         |   |                   |          |          |          |   |          |       |  |          |          |          |          |  |
| जम्मा             |   | ३२८६७०२२      | २६००००००             | २६००००००                   | २६००००००             |                            |             |              |  |  |  |  |  |             |          |         |  |          |  |            |          |         |  |         |  |            |        |        |         |   |         |              |         |         |        |   |        |         |         |          |   |         |   |                   |          |          |          |   |          |       |  |          |          |          |          |  |
| ३५.               | योजना कार्यान्वयन: स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २४ वमोजिम स्थानीय तहले योजना वनाउँदा सहभागितमूलक, उत्पादनमूलक र प्रतिफल प्राप्त योजना छनौट गरि प्राथमिककरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । साथै योजना वनाउँदा मध्यम तथा दिर्घकालीन प्रकृतिका आयोजनाहरुको सूची समेत तयारगरी कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने व्यवस्था छ । कार्यालयले कार्यान्वयनमा ल्यएका योजना बढी वितरणमुखी, बाष्पिकरण प्रकृतिका रहेका सहभागितमूलक अवधारणमा आधारित नदेखिएका, उत्पादनमूलक र प्रतिफल एकिनको पुर्व मुल्याङ्कन गर्न नसक्ने अवस्था देखियो । योजना छनौटमा प्राथमिककरणका आधारमा कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्दछ ।   |               |                      |                            |                      |                            |             |              |  |  |  |  |  |             |          |         |  |          |  |            |          |         |  |         |  |            |        |        |         |   |         |              |         |         |        |   |        |         |         |          |   |         |   |                   |          |          |          |   |          |       |  |          |          |          |          |  |

| ३६.                  | <p><b>विमा:</b> सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ११२ मा रु १० लाख भन्दा वढिको निर्माण कार्य गर्दा मेशिन, औजार वा प्लाण्ट लगायतको विमा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। उपभोक्ताद्वारा कार्यान्वयन भएका ग्रामिण सडक, विद्यालय भबन लगायतका संरचना निर्माणमा नियमावलीमा व्यवस्था भए अनुसार विमा गरेको देखिएन। योजना संभौता भएको १५ दिन भित्र यस्ता निर्माणधिन संरचनाको अनिवार्य विमा गरी कार्यालयले सम्भाव्य संरचनागत जोखिम न्युनिकरणमा पहल गर्नु पर्दछ।</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>योजना</th><th>लागत अनुमान तथा ठेक्का रकम</th><th>खर्च रकम रु</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ग्रामिण सडक १० बटा</td><td>२ करोड ६ लाख</td><td>२ करोड ६ लाख</td></tr> <tr> <td>विद्यालय, २ बटा</td><td>४०लाख ५० हजार</td><td>४०लाख ५० हजार</td></tr> <tr> <td>सिचाई योजना ३ बटा</td><td>३२ लाख ५० हजार</td><td>३२ लाख ५० हजार</td></tr> <tr> <td>बाटो, खानेपानी ७ बटा</td><td>६९ लाख</td><td>६९ लाख</td></tr> </tbody> </table> | योजना          | लागत अनुमान तथा ठेक्का रकम | खर्च रकम रु | ग्रामिण सडक १० बटा | २ करोड ६ लाख | २ करोड ६ लाख | विद्यालय, २ बटा | ४०लाख ५० हजार | ४०लाख ५० हजार | सिचाई योजना ३ बटा | ३२ लाख ५० हजार | ३२ लाख ५० हजार | बाटो, खानेपानी ७ बटा | ६९ लाख | ६९ लाख |  |
|----------------------|--|----------------|----------------------------|-------------|--------------------|--------------|--------------|-----------------|---------------|---------------|-------------------|----------------|----------------|----------------------|--------|--------|--|
| योजना                | लागत अनुमान तथा ठेक्का रकम   | खर्च रकम रु    |                            |             |                    |              |              |                 |               |               |                   |                |                |                      |        |        |  |
| ग्रामिण सडक १० बटा   | २ करोड ६ लाख   | २ करोड ६ लाख   |                            |             |                    |              |              |                 |               |               |                   |                |                |                      |        |        |  |
| विद्यालय, २ बटा      | ४०लाख ५० हजार  | ४०लाख ५० हजार  |                            |             |                    |              |              |                 |               |               |                   |                |                |                      |        |        |  |
| सिचाई योजना ३ बटा    | ३२ लाख ५० हजार   | ३२ लाख ५० हजार |                            |             |                    |              |              |                 |               |               |                   |                |                |                      |        |        |  |
| बाटो, खानेपानी ७ बटा | ६९ लाख   | ६९ लाख         |                            |             |                    |              |              |                 |               |               |                   |                |                |                      |        |        |  |
| ३७.                  | <p><b>लागत अनुमान:</b> सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५ मा सार्वजनिक निकायले खरिद गर्न लागत अनुमान स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। वार्षिक बजेट कार्यक्रम र कार्यान्वयन तालिका बनाउदा कार्यक्रम सुचारू रूपले कार्यान्वयन गराउन र निर्धारित समयभित्र कार्य सम्पन्न गर्न अन्य निकायसँग लिनुपर्ने सहयोग र स्वीकृतीबाटे पत्राचार र छलफल गर्ने कार्य तथा लागत अनुमान तयार गर्ने, ठेक्कापट्टा स्वीकृत गर्ने कार्यसमेत प्रथम चौमासिक अवधिमा समाप्त गरीसक्नु पर्ने व्यवस्था छ। कार्यालयले कुनै पनि निर्माणका योजनाहरूको लागत अनुमान स्वीकृत गराएको देखिएन। गाउँ सभाबाट पारीत कार्यक्रम सोझै तेस्रो चौमासिकको आषाढ महिनामा कार्यान्वयन आएको अवस्था छ। यस वर्ष करीब १५ करोडको कार्यक्रम लागत अनुमान स्वीकृत बेगर नै आषाढ महिनामा भुक्तानी भएको छ। अतः ऐनमा व्यवस्था भए अनुसार प्रथम चौमासिकमा योजनाको लागत अनुमान अनिवार्य स्वीकृत गराई कार्यान्वयनमा त्याउने तर्फ कार्यालयको पहल हुनु पर्दछ।</p>                                     |                |                            |             |                    |              |              |                 |               |               |                   |                |                |                      |        |        |  |
| ३८.                  | <p><b>नम्स स्विकृत बेगर लागत अनुमान तयार :</b> सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १० अनुसार नम्स स्वीकृत नगरी उपभोक्ता समिति तर्फ विभिन्न सडक निर्माण कार्यको लागत अनुमान एक्साभेटर बुल डोजर जस्ता मेशिन प्रयोग अवस्थामा ८० प्रतिशत मेशिन मार्फत २० प्रतिशत मानिसको श्रम प्रयोग गर्ने गरी लागत दर समायोजन गरी दर कायम गरी सो बमोजिम लागत अनुमान तयार गर्ने गरेको पाईयो। निर्माण गरिने स्थान अनुसार फरक फरक दर निर्धारण भै मेशिनको समेत प्रयोग भएको छ। हेभि मेशिनरी प्रयोग गरी नयाँ कच्ची सडकको ट्रयाक खोल्दा वा मर्मत गर्दा ८०:२० को अनुपातबाट लागत अनुमान तयार गर्ने नम्स स्विकृत भएको आधार प्रमाण भने पेश भएन। यसरी आधार बेगर लागत अनुमान तयार गर्दा भन्डै ५ गुना सम्म लागत बढ्दि हुने अवस्थामा अबिलम्ब सुधार हुनुपर्दछ।</p>   |                |                            |             |                    |              |              |                 |               |               |                   |                |                |                      |        |        |  |
| ३९.                  | <p><b>सार्वजनिक खरिद नियमावली,</b> २०६४ को नियम १० मा सार्वजनिक निकायले निर्माण कार्यको लागत अनुमान तयार गर्दा नियम ९ बमोजिम विचार गर्नुपर्ने कुराको समेत व्यवस्था छ। सोही नियमावलीको अनुसूची - १ मा निर्माण कार्यको लागत अनुमान तयार गर्दा वर्कचाट स्टाफ खर्च २.५ % र सानातिना अन्य खर्च २.५ % गरी पाँच प्रतिशत सम्म लागत अनुमान थप गरी तुलना गर्ने र बोलपत्रको अंक तुलना गर्दा कूल लागत अनुमानलाई आधार मान्नु पर्ने व्यवस्था छ। यस कार्यालयले लागत अनुमान परिमाणलाई दरले गुणन गर्दा आउने रकम अलग हिसावमा कार्यालय बाट वेहोर्ने रकमको माग कन्टिन्जेन्सी हिसाव गरीएको छ। यसले गर्दा कूल लागत अनुमानमा नभै कार्यालयबाट भुक्तानी हुने रकममा मात्र कन्टिन्जेन्सी खर्च हिसाब गर्दा कूल लागत यथार्थपरक रहेको छैन। तसर्थ कूल लागत एकिन गर्ने र त्यसको आधारमा उपभोक्ताको योगदान खुल्ने गरी उपभोक्ता समितिसंग सम्झौता गर्नुपर्ने देखिन्दू।</p>   |                |                            |             |                    |              |              |                 |               |               |                   |                |                |                      |        |        |  |
| ४०.                  | <p><b>लेखापरीक्षण:</b> आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ को दफा १६(२) मा प्रत्येक कार्यालयले सबै प्रकारका आय व्ययको आन्तरीक लेखापरीक्षण गराई स्रेस्ता कागजात दुरुस्त राखी आन्तरीक लेखापरीक्षणबाट देखिएका कैफियत व्यहोरा फछ्यौट गराई अन्तिम लेखापरीक्षणका लागि स्रेस्ता पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था छ। कार्यालयमा आन्तरीक लेखापरीक्षण शाखा गठन भै नसकेको, नीतिगत अन्योलताका कारण जिल्ला स्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले समेत निकायको आन्तरीक लेखापरीक्षण समयमा सम्पन्न गर्न नसेकेको अवस्था छ। यस वर्ष कार्यालयको आन्तरीक लेखापरीक्षण हुन सकेन। आगामी दिनमा ऐनले तोके अनुसार समयमानै आन्तरीक लेखापरीक्षण गराउने व्यवस्था हुनु पर्दछ।</p>  |                |                            |             |                    |              |              |                 |               |               |                   |                |                |                      |        |        |  |
| ४१.                  | <p><b>गुणस्तर परीक्षण:</b> सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ११५(१) अनुसार सार्वजनिक निकायले आपुर्ति गरेका मालसामान सम्झौतामा उल्लेखित प्राविधिक स्पेशिफिकेसन र गुणस्तर बमोजिम भए नभएको निरीक्षण वा परीक्षण गर्नु गराउनु पर्ने व्यवस्था छ। ट्रिपर ट्रक १, स्काइभेटर १, सोलार, मोटरसाइक्ल ५ लगायतकका रु २२६१७७१५ मुल्यका जिन्सी सामान खरीद भएकोमा गुणस्तर परीक्षण गरेको छैन। नियमावलीको व्यवस्था अनुसार प्रतिस्पर्धामा आवश्यक सामान खरिद गरी अनिवार्य गुणस्तर परीक्षण भए पश्चात मात्र भुक्तानी दिनुपर्दछ।</p>   |                |                            |             |                    |              |              |                 |               |               |                   |                |                |                      |        |        |  |
| ४२.                  | <p>स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार बजेट अवण्डा राखी खर्च गर्न नपाइने मा यस गाउँपालिका यो वर्ष सम्पुरकोष, तथा विपद व्यवस्थापन कोष नामक एक कोषमा रु ४५ लाख विनियोजन गरी कार्यपालिकाको निर्णयबाट चालु प्रकृतिका</p>   | ४५०००००        |                            |             |                    |              |              |                 |               |               |                   |                |                |                      |        |        |  |

|               | क्रियाकलापमा तथा अनुदानमा खर्च गरेको अनियमित देखिएको रु ।   |               |              |           |              |           |              |                              |               |         |           |              |                                   |              |        |         |              |                               |          |            |          |          |  |  |           |           |           |
|---------------|---|---------------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|------------------------------|---------------|---------|-----------|--------------|-----------------------------------|--------------|--------|---------|--------------|-------------------------------|----------|------------|----------|----------|--|--|-----------|-----------|-----------|
| ४३.           | <p><b>कन्टिजेन्सी खर्च :</b><br/> सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १० (७) मा निर्माण कार्यको लागत अनुमान तयार गर्ने ढाँचा अनुसुचि १ मा व्यवस्था रहेको छ । उक्त अनुसुचिमा निर्माण कार्यको लागत अनुमान तयार गर्दा वर्क चार्ट स्टाफ खर्च २.५ प्रतिशत र सानातिना अन्य खर्च २.५% गरि ५ प्रतिशत थप गर्ने व्यवस्था रहेको छ । सो अनुरूप निर्माण कार्यको लागत अनुमानको ५ प्रतिशतसम्म कन्टिजेन्सी खर्च गर्न सकिने व्यवस्था देखिन्छ । यस वर्ष पूँजीगत सुधारका कार्यक्रम अन्तर्गत कन्टिजेन्सी रु.४०००००० खर्च भएको छ । कार्यालयले कार्यक्रमाइज खाता नराखेकाले योजनागत लागत अनुमान तथा उक्त योजनामा खर्च गर्न सकिने कन्टिजेन्सीको रकम एकिन गर्न सकिएन । लमसममा खर्च गरेको उक्त कन्टिजेन्सीको रकम चालु प्रकृतिका रहेकाले अनिवार्य रूपमा २.५ प्रतिशत पुऱ्जिगत प्रकृतिका काममा खर्च गर्ने तर्फ पहल हुनु पर्दछ ।</p>  |               |              |           |              |           |              |                              |               |         |           |              |                                   |              |        |         |              |                               |          |            |          |          |  |  |           |           |           |
| ४४.           | <p><b>चालु ( निश्चित अनुदान )</b><br/> मुल्य अभिवृद्धि कर नियमावली, २०५३ को नियम ६ क अनुरूप ठेकका दिने, सामान वा सेवा लिने सरकारी निकायले आफूले गरेको ठेक्का सम्झौता र मु अ. कर भुक्तानीको जानकारी सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा कारोबार भएको २५ दीन भित्र दिई मु अ. करको भुक्तानी सम्बन्धित ठेकेदार वा आपूर्तकलाई गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकोमा गाउँपालीकाले निम्नानुसार पार्टीहरूलाई मु.अ.कर भुक्तानी गरेकोमा सोको जानकारी सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा नदिएकोले मु.अ.कर समायोजन विवरण पेश हुनुपर्ने रु ।</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>भौ.नं. र मिति</th><th>फर्मको नाम</th><th>पान नं.</th><th>बील रकम</th><th>भ्याट रकम</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>११०-०७५/३/१२</td><td>आदर्शस्टेशनरी एण्ड सप्लायर्स</td><td>३०२७७६४३६</td><td>१७०,७३०</td><td>२२,१९४.९०</td></tr> <tr> <td>१११-०७५/३/१२</td><td>स्मार्ट कम्युनिकेशन एण्ड स्टेशनरी</td><td>३०२५२६४५१</td><td>६७,५५०</td><td>८७८१.५०</td></tr> <tr> <td>११६-०७५/३/१२</td><td>एस.के स्टेशनरी एण्ड सप्लायर्स</td><td>३०३०५७४६</td><td>५२,५००</td><td>६८२५</td></tr> <tr> <td>जम्मा</td><td></td><td></td><td>३७,८०९.४०</td><td>२,९०,७८०-</td></tr> </tbody> </table> | भौ.नं. र मिति | फर्मको नाम   | पान नं.   | बील रकम      | भ्याट रकम | ११०-०७५/३/१२ | आदर्शस्टेशनरी एण्ड सप्लायर्स | ३०२७७६४३६     | १७०,७३० | २२,१९४.९० | १११-०७५/३/१२ | स्मार्ट कम्युनिकेशन एण्ड स्टेशनरी | ३०२५२६४५१    | ६७,५५० | ८७८१.५० | ११६-०७५/३/१२ | एस.के स्टेशनरी एण्ड सप्लायर्स | ३०३०५७४६ | ५२,५००     | ६८२५     | जम्मा    |  |  | ३७,८०९.४० | २,९०,७८०- | ३७,८०९.४० |
| भौ.नं. र मिति | फर्मको नाम  | पान नं.       | बील रकम      | भ्याट रकम |              |           |              |                              |               |         |           |              |                                   |              |        |         |              |                               |          |            |          |          |  |  |           |           |           |
| ११०-०७५/३/१२  | आदर्शस्टेशनरी एण्ड सप्लायर्स  | ३०२७७६४३६     | १७०,७३०      | २२,१९४.९० |              |           |              |                              |               |         |           |              |                                   |              |        |         |              |                               |          |            |          |          |  |  |           |           |           |
| १११-०७५/३/१२  | स्मार्ट कम्युनिकेशन एण्ड स्टेशनरी   | ३०२५२६४५१     | ६७,५५०       | ८७८१.५०   |              |           |              |                              |               |         |           |              |                                   |              |        |         |              |                               |          |            |          |          |  |  |           |           |           |
| ११६-०७५/३/१२  | एस.के स्टेशनरी एण्ड सप्लायर्स   | ३०३०५७४६      | ५२,५००       | ६८२५      |              |           |              |                              |               |         |           |              |                                   |              |        |         |              |                               |          |            |          |          |  |  |           |           |           |
| जम्मा         |   |               | ३७,८०९.४०    | २,९०,७८०- |              |           |              |                              |               |         |           |              |                                   |              |        |         |              |                               |          |            |          |          |  |  |           |           |           |
| ४५.           | <p>आयकर ऐन २०५८ को दफा दद बमोजिम सेवा शुल्कको भुक्तानी रकममा १५ प्रतिशत का दरले कर लाने व्यवस्था छ । देहायका संस्थाहरूलाई सेवा शुल्क भुक्तानी गर्दा कर कटी भएको नदेखिएकोले असुल गरी दाखिला गर्नुपर्ने रु ।</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>भौ.नं. र मिति</th><th>संस्थाको नाम</th><th>विवरण</th><th>भुक्तानी रकम</th><th>कर रकम</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>११४-०७५/३/१७</td><td>महाकालीखावरसापाताहिक पत्रिका</td><td>सुचना प्रकाशन</td><td>७७,५००</td><td>११,६२५</td></tr> <tr> <td>११५-०७५/३/१७</td><td>खवरपालीका क्लेनी दैनिक</td><td>टेण्डर सुचना</td><td>४०,०००</td><td>६००</td></tr> <tr> <td>जम्मा</td><td></td><td></td><td>१,१७,५००।-</td><td>१७,६२५।-</td></tr> </tbody> </table>   | भौ.नं. र मिति | संस्थाको नाम | विवरण     | भुक्तानी रकम | कर रकम    | ११४-०७५/३/१७ | महाकालीखावरसापाताहिक पत्रिका | सुचना प्रकाशन | ७७,५००  | ११,६२५    | ११५-०७५/३/१७ | खवरपालीका क्लेनी दैनिक            | टेण्डर सुचना | ४०,००० | ६००     | जम्मा        |                               |          | १,१७,५००।- | १७,६२५।- | १७,६२५।- |  |  |           |           |           |
| भौ.नं. र मिति | संस्थाको नाम  | विवरण         | भुक्तानी रकम | कर रकम    |              |           |              |                              |               |         |           |              |                                   |              |        |         |              |                               |          |            |          |          |  |  |           |           |           |
| ११४-०७५/३/१७  | महाकालीखावरसापाताहिक पत्रिका  | सुचना प्रकाशन | ७७,५००       | ११,६२५    |              |           |              |                              |               |         |           |              |                                   |              |        |         |              |                               |          |            |          |          |  |  |           |           |           |
| ११५-०७५/३/१७  | खवरपालीका क्लेनी दैनिक  | टेण्डर सुचना  | ४०,०००       | ६००       |              |           |              |                              |               |         |           |              |                                   |              |        |         |              |                               |          |            |          |          |  |  |           |           |           |
| जम्मा         |   |               | १,१७,५००।-   | १७,६२५।-  |              |           |              |                              |               |         |           |              |                                   |              |        |         |              |                               |          |            |          |          |  |  |           |           |           |
| ४६.           | <p><b>ब.उ.शि.नं. ३७०१४३ (स्वास्थ्य तर्फ)</b><br/> निजामती सेवा नियमावली २०४९ को दफा ७ ख (२) मा कार्यालयले तलब खर्च भुक्तानी गर्दा तलबी प्रतिवेदन पारित गरेर मात्र खर्च लेख्नुपर्ने व्यवस्था छ । कार्यालयले कर्मचारीको तलब खर्च भुक्तानी गर्दा तलबी प्रतिवेदन पारीत नगरी खर्च लेखेकोले नियमावलीको परिपालना हुन सकेको देखिएन ।</p>  |               |              |           |              |           |              |                              |               |         |           |              |                                   |              |        |         |              |                               |          |            |          |          |  |  |           |           |           |
| ४७.           | <p>आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०६४ को नियम ३६(३) मा खर्च गर्दा खर्चको विल भरपाई सहित लेखा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । ड्रग सेन्टर धनगढीबाट न्यानो भोला १४४ थान खरिद वाफत प्रति थान रु.७९.४ ले भ्याट सहित रु.१,२९,१९९।३८ भुक्तानी गरेकोमा ती भोलाहरु सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाले वितरण गरेको भरपाई पेश नभएकाले प्रमाण पेश हुनुपर्ने रु ।</p>  | १,२९,१९९।३८   |              |           |              |           |              |                              |               |         |           |              |                                   |              |        |         |              |                               |          |            |          |          |  |  |           |           |           |
| ४८.           | <p>आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०६४ को नियम ३६(३) मा खर्च गर्दा खर्चको विल भरपाई सहित लेखा राख्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा विजुल वर्थड़ सेन्टर निर्माणको लागि ल.ई रु.७,२०,३७।- गरी कार्यालयबाट रु.२,८३,२०० र उपभोक्ताबाट रु.१,३७,१८७ बेहोर्ने सम्झौता गरी मिति २०७४।१।३० मा सम्पन्न गर्ने भनिएकोमा उक्त निर्माणको खर्चका विल भरपाई र कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन पेश नभएको रु ।</p>  | २,८३,२००।-    |              |           |              |           |              |                              |               |         |           |              |                                   |              |        |         |              |                               |          |            |          |          |  |  |           |           |           |
| ४९.           | <p>आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०६४ को नियम ३६(३) मा खर्च गर्दा खर्चको विल भरपाई सहित लेखा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । IFA क्रियाकलापमा सहभागी शिक्षक र सहायक पंचेश्वर स्वास्थ्य चौकीका द कर्मचारीहरूले दैनिक भ्रमण भत्ता बुझिलिएको अवधिको समेत यातायात खर्च भनी रु.४०० का दरले रु.३,२०० भुक्तानी लिएको रकम असुल हुनुपर्ने रु</p>  | ३,२००।-       |              |           |              |           |              |                              |               |         |           |              |                                   |              |        |         |              |                               |          |            |          |          |  |  |           |           |           |
| ५०.           | <p><b>समानिकरण चालु तर्फ :</b><br/> सूचना प्रसारण वाफत रेडीयो अमरगढी ९७.४ मेगाहर्ज डेल्युरालाई रु.५०,००० भुक्तानी भएकोमा आयकर ऐन २०५८ को दफा दद अनुसार १५ प्रतिशत अग्रिम आयकर कट्टा नभएकोले कट्टा गर्नुपर्ने रु ।</p>   | ७,५००।-       |              |           |              |           |              |                              |               |         |           |              |                                   |              |        |         |              |                               |          |            |          |          |  |  |           |           |           |
| ५१.           | पंचेश्वर गाउँपालीका, बैतडीले पाटन पंचेश्वर सडक र यससँग जोडीएका विवध पक्षलाई समेटेर वृत्तचित्र तयार गर्नका लागि  |               |              |           |              |           |              |                              |               |         |           |              |                                   |              |        |         |              |                               |          |            |          |          |  |  |           |           |           |

|              |   |                    |       |       |        |  |
|--------------|---|--------------------|-------|-------|--------|--|
|              | पंचश्वर गाउँपालीका र ग्रिन मिडिया सेन्टर, बैतडी बीच मिति २०७५।३।१४ मा सम्झौता भए बमोजिम रु.१,३५,००० भुक्तानी भएकोमा आयकर ऐन २०५८ को दफा दद अनुसार १५ प्रतिशत अग्रिम आयकर कट्टा नभएकोले कट्टी गर्नुपर्ने रु.   | २०,२५०।-           |       |       |        |  |
| ५२.          | रेडीयो निझ्लासैनी ९४.० मेगाहर्ज, बैतडीले सचेतनामुलक सन्देश उत्पादन तथा प्रसारण गरेवाफत रु.३,००,००० भुक्तानी लिएकोमा आयकर ऐन २०५८ को दफा दद अनुसार १५ प्रतिशतका दरले रु.४५,००० कट्टा गर्नुपर्नेमा रु.४,५०० मात्र कट्टी भएकोले घटी कर असुल हुनुपर्ने रु.  | ४०,५००।-           |       |       |        |  |
| ५३.          | पंचश्वर गाउँपालीका र रेडीयो सुदूर आवाज ९५ मेगाहर्ज डेक्स्युरा बीच सुदूर पश्चिम नामक रेडीयो कार्यक्रम र विभिन्न समयमा सूचना प्रसारणको लागि मिति २०७५।१।२ देखि २०७५ आषाढसम्म सम्झौता भएकोमा आयकर ऐन २०५८ को दफा दद अनुसार १५ प्रतिशतका दरले रु.१२,००० कर कट्टा गर्नुपर्नेमा रु.१२०० मात्र कट्टा भएकोले घटी कर असुल हुनुपर्ने रु.  | १०,८००।-           |       |       |        |  |
| ५४.          | रेडीयो निझ्लासैनी ९४.० मेगाहर्ज, बैतडीले सचेतनामुलक सन्देश उत्पादन तथा प्रसारण वाफत रु.२५,००० भुक्तानी लिएकोमा आयकर ऐन २०५८ को दफा दद अनुसार १५ प्रतिशतका दरले रु.२,७५० कर कट्टा गर्नुपर्नेमा रु.२७५ मात्र कट्टा गरेकोले घटी कर असुल हुनुपर्ने रु.  | ३,३७५।-            |       |       |        |  |
| ५५.          | रेडीयो निझ्लासैनी ९४.० मेगाहर्ज, बैतडीले सचेतनामुलक सन्देश, शुभकामना, विज्ञापन वाफत रु.३०,००० भुक्तानी लिएकोमा आयकर ऐन २०५८ को दफा दद अनुसार १५ प्रतिशतका दरले रु.४,५०० कर कट्टा गर्नुपर्नेमा रु.४५० मात्र कट्टा गरेकोले घटी कर असुल हुनुपर्ने रु.  | ४,०५०।-            |       |       |        |  |
| ५६.          | पाठेघर खस्ने, नाक, कान, घाँटी, दन्त र जनरल फिजिसियन सम्बन्धी २ दिने निशुल्क स्वास्थ्य शिविर संचालन गर्न पंचश्वर गाउँपालीका र सामाजिक विकास तथा सचेतना समाज, बैतडी बीच रु.५,००,०००।- को सम्झौता भएकोमा काम सम्पन्न भएपश्चात रु.५,००,००० लाख भुक्तानी भएकोमा आयकर ऐन २०५८ को दफा दद अनुसार १५ प्रतिशतका दरले कर कट्टा गर्नुपर्नेमा कट्टा नगरेकोले असुल हुनुपर्ने रु.  | ७५,०००।-           |       |       |        |  |
| ५७.          | स्थानिय तहको पदाधिकारीको सुविधा: स्थानिय तहका पदाधिकारीहरूले पाउने पारिश्रमिक तथा सुविधा प्रदेश सभाले कानुन बनाई लागु गरेको मितिदेखि पाउने व्यवस्था छ । प्रदेश सभाले सम्बन्धी स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५ मिति २०७५।३।३ मा प्रमाणिकरण गरेको देखियो । सो कानुन लागु हुनु भन्दा अगाडी मिति २०७४ श्रावण देखि २०७५ आषाढ सम्म स्थानिय तहको पदाधिकारीको निम्नानुसाका सुविधा भुक्तानी भएको देखिएकाले ऐन प्रमाणिकरण अधि लिएको सुविधा असुल हुनु पर्दछ | ३८७६०००।-          |       |       |        |  |
| १ : =g+<br>= | gfd, y/   | kb                 | dlxgf | dfl;s | hdff   |  |
|              | uf] / v a= rGb  | cWoIf              | १२    | ३०००० | ३६०००० |  |
|              | lagf e6\6   | pkfWoIf            | १२    | २५००० | ३००००० |  |
|              | k/) f rGb   | j8f cWoIf          | १२    | २०००० | २४०००० |  |
|              | bz/y d+uf] nf   | j8f cWoIf          | १२    | २०००० | २४०००० |  |
|              | ldg a= rGb  | j8f cWoIf          | १२    | २०००० | २४०००० |  |
|              | /fh a= rGb  | j8f cWoIf          | १२    | २०००० | २४०००० |  |
|              | /fd l;+x k'hf/f   | j8f cWoIf          | १२    | २०००० | २४०००० |  |
|              | b] j a= rGb   | j8f cWoIf          | १२    | २०००० | २४०००० |  |
|              | ladfnf b] jL<br>36ffn   | dlxnf ;b:o         | १२    | ८०००  | ९६०००  |  |
|              | ;] t' rGb   | dlxnf ;b:o         | १२    | ८०००  | ९६०००  |  |
|              | lnnf rGb  | dlxnf ;b:o         | १२    | ८०००  | ९६०००  |  |
|              | sdnf rGb  | dlxnf ;b:o         | १२    | ८०००  | ९६०००  |  |
|              | uf] / fd ; fsL{   | blnt ;b:o          | १२    | ८०००  | ९६०००  |  |
|              | xl/ / fd n'xf/  | blnt ;b:o          | १२    | ८०००  | ९६०००  |  |
|              | d#' rGb   | dlxnf ;b:o         | १२    | ५०००  | ६००००  |  |
|              | ;/:jtL s'=kGt<br>e08f/L   | dlxnf ;b:o         | १२    | ५०००  | ६००००  |  |
|              | hfgsL ;'gL n'xf/  | blnt dlxnf<br>;b:o | १२    | ५०००  | ६००००  |  |
|              | s]p/f n'xf/   | blnt dlxnf<br>;b:o | १२    | ५०००  | ६००००  |  |
|              | uLtf cff]*  | blnt dlxnf         | १२    | ५०००  | ६००००  |  |

|    |                      |                    |    |      |        |
|----|----------------------|--------------------|----|------|--------|
|    |                      | :b:o               |    |      |        |
| २० | nIdL n'xf/           | blnt dlxnf<br>;b:o | १२ | ५००० | ६००००  |
| २१ | x? g]kfnL            | blnt dlxnf<br>;b:o | १२ | ५००० | ६००००  |
| २२ | ;s'Gtnf cf}hL        | blnt dlxnf<br>;b:o | १२ | ५००० | ६००००  |
| २३ | uf]/v l;+x 36fn      | ;b:o               | १२ | ५००० | ६००००  |
| २४ | k dn l;+x 36fn       | ;b:o               | १२ | ५००० | ६००००  |
| २५ | uf]kfn rGb           | ;b:o               | १२ | ५००० | ६००००  |
| २६ | /fd l;+x d+uf]nf     | ;b:o               | १२ | ५००० | ६००००  |
| २७ | sfn' l;+x hf]zL      | ;b:o               | १२ | ५००० | ६००००  |
| २८ | ejfgL l;+x ;fpb      | ;b:o               | १२ | ५००० | ६००००  |
| २९ | Zofd' rGb            | ;b:o               | १२ | ५००० | ६००००  |
| ३० | ;xb]j rGb            | ;b:o               | १२ | ५००० | ६००००  |
| ३१ | s[i)f l;+x e08f/L    | ;b:o               | १२ | ५००० | ६००००  |
| ३२ | g/]z rGb             | ;b:o               | १२ | ५००० | ६००००  |
| ३३ | s[i)f l;+x e08f/L    | ;b:o               | १२ | ५००० | ६००००  |
| ३४ | uf]laGb l;+x e08ff/L | ;b:o               | १२ | ५००० | ६००००  |
|    | hDdf                 |                    |    |      | ३८५००० |

५८. निवृत्तिभरण पाउने पदाधिकारीले लिएको सुविधा :प्रदेश नं. ७ ले तयार गरेको स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ७ मा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको सेवावाट अवकास लिई त्यसले सरकार वा तहबाट निवृत्तिभरण पाइरहेको कुनै व्यक्ति पदाधिकारी वा सदस्य पदमा निर्वाचित भएमा त्यस्तो व्यक्तिले दफा ३ बमोजिमको मासिक पारिश्रमिक सुविधाको ५० प्रतिशत रकम पाउनेछ । तर सो बाहेकका सुविधा अन्य पदाधिकारी तथा सदस्यले पाए सरह पाउने व्यवस्था गरेको छ । यस नगरपालिका अन्तर्गत निम्न पदाधिकारी / सदस्यहरूले माथि उल्लेखित भए बमोजिमको निवृत्तिभरण पाइरहेको अवस्थामा पनि मासिक पारिश्रमिक सुविधावापत पैरै रकम भुक्तानी दिएकोले भुक्तानी लिने पदाधिकारीबाट सो रकम दफा ५८ मा मिलान गरी असुल उपर हुनु पर्दछ ।

| सि.नं. | पदाधिकारी/सदस्य | नाम धर       | निवृत्तिभरणको पद | मासिक सुविधा दर | वार्षिक सुविधा रु. | बढी आया पारिश्रमिक सुविधाको रकम रु. |
|--------|-----------------|--------------|------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------------|
| १      | गा.पा अध्यक्ष   | uf]/v a= rGb | शिक्षक           | ३००००           | ३६००००             | १८००००                              |
| जम्मा  |                 |              |                  |                 |                    | १८००००                              |

#### शर्त चाल :

५९. गाउँपालीकाका अध्यक्ष, बडा अध्यक्ष लगायतका पदाधिकारीले अनुगमन कार्यको लागि दै.भ्र.भ. दावि गरी गाडी भाडा लगायतका खर्च वार्षिक रूपमा सोधभर्ना भुक्तानी लिएको देखियो । यसको अतिरिक्त निम्नानुसारका भौचर मितिबाट पुनः सदरमुकाम आते जातेमा प्रयोग भएको भाडी रिजर्भको भाडा खर्च लेखेको देखियो । पदाधिकारी तथा कर्मचारीले कामको सिलसिलामा नियमानुसार दैनिक भ्रमण भत्ता दावि गरिसकेपछि पुनः गाडी भाडा भनि खर्च लेखेको रकमको खर्चको आधार पेश हुन सकेन । अतः कानुनी आधार बेगर भएको भुक्तानी असुल गर्नुपर्ने

| गो.भौ. नं. र मिति | गाडी नं.    | भाडा लिने व्यक्तिको नाम | भाडा रकम | प्रयोगकर्ता       |
|-------------------|-------------|-------------------------|----------|-------------------|
| १४५-२०७५/३/२०     | म.१ अ. १४८  | प्रजापति ओझा            | ७५०००    | गोरख ब. चन्द समेत |
| १४८-२०७५/३/२०     | म.१ अ. १४८  | प्रजापति ओझा            | २५०००    | "                 |
| १४९-२०७५/३/२०     | ल.१. अ. १६६ | भोजराज जोशी             | १३४६६६   | "                 |
| १५१-२०७५/३/२०     | बोलेरो जिप  | भोजराज जोशी             | ५००००    | "                 |
| १५२-२०७५/३/२०     | से.१ ख १३१३ | भोजराज जोशी             | ३००००    | "                 |
| १५४-२०७५/३/२०     | म.१ ज १६५   | अशोक बोहोरा             | १२००००   | नखुले             |
| १६९-२०७५/३/२५     | नखुले       | खेमानन्द चन्द           | २२०००    | नखुले             |
| जम्मा             |             |                         | ४५६६६६   |                   |

४,५६,६६६-

६०. शर्त पूँजीगतः  
कृषि तथा पशु अनुदान वितरण कार्यविधि २०७३ अनुसार विभिन्न संस्था वा निकायलाई उपलब्ध गराएको अनुदान तोकिए

बमोजिमको कार्यमा उपभोग भए नभएको, तोकिए बमोजिम प्रगती भए नभएको तथा खर्चको पारदर्शिता रहे नरहेको सम्बन्धमा खर्च लेखे सार्वजनिक निकायले अनुगमन गरी प्रतिवेदन लिनु पर्ने व्यवस्था छ । गाउँपालीका वडा नं. ७ स्थित कार्यालयले आयआर्जन कार्यक्रम संचालन गर्न वडाका विभिन्न समुहलाई बाखा पालन, तरकारी खेती अचार प्रसोधन लगायतका आय आर्जनका कार्यक्रमहरु संचालनका लागि समुह लाई रु.४८,००,००० पेशकी दिई कार्यक्रम संचालन गरेकोमा देहायअनुसार का व्यक्तिलाई रकम बुझाएको भनि भरपाई पेश भएका आधारमा पेशकी फछ्यौट गरेको देखियो ।

| कार्यक्रम              | अनुदान वितरण सङ्ख्या | दर     | भुक्तानी रकम |
|------------------------|----------------------|--------|--------------|
| बाखा वितरण             | २४                   | ४७५००  | ११,४०,०००    |
| तरकारी विडू विजन वितरण | २२                   | ३००००  | ६,६०,०००     |
| अचार बनाउने सामाग्रि   | ८                    | १२,५०० | १,००,०००     |
| जम्मा                  |                      |        | १२,००,०००    |

उक्त अनुदान सदुपयोगको सम्बन्धमा कार्यालयबाट अनुगमन गरी प्रतिवेदन अभिलेख गरेको देखिएन । साथै प्रत्येक वर्ष अनुदान लिनेको लगत दोहोरो नपर्ने गरी अद्यावधिक गरेको समेत नदेखिएकाले अनुदान प्राप्त गर्ने कृपको लगत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखियो । यसरी वितरीत अनुदानको सदुपयोग भए नभएको अनुगमन गर्न नसक्दा खर्चको यथार्थता समेत एकिन हुन सकेन

६१ शशर्त अनुदान शिक्षा: आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०६४ को नियम ३६(३) मा खर्च गर्दा खर्चको विल भरपाई सहित लेखा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । विद्यालयहरूलाई तलब भत्ता, संचालन खर्च, पुस्तकालय लगायतका तेस्रो किस्ता निकासा रु १९९९७३०८ दिवा विद्यालयगत माग फारम संलग्न नभई बजेट खर्च लेखेको उक्त रकमको विद्यालयगत निकासा खर्च विवरण संलग्न गर्नु पर्दछ ।

६२ भुक्तानी दिन बाँकी विवरण - आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०६४ को नियम ६३१ मा स्थानीय निकायको परिषद्बाट कार्यक्रम र बजेट स्वीकृत गराई मात्र अधिकार प्राप्त अधिकारीले खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कार्यालयले आ.ब.२०७४।७५ को कर्मचारीको २०७५ आषाढ महिनाको तलब खर्च वापतको भुक्तानी दिन बाँकी रकम रु ८४४८६७- आगामी वर्षको लागि थप दायित्व सृजना गरेको देखियो । नियमावलीको व्यवस्था अनुसार चालु वर्षको भुक्तानी सोही वर्षमा अद्यावधिक गर्नु पर्दछ ।

६३ वित्तीय जवाफदेहिता मूल्याङ्कन : कार्यालयले विभिन्न ऐन कानून एं कार्यविधिमा भएको व्यवस्थाको पालना गरी वित्तीय जवाफदेहिताको स्तर उच्च राख्नु पर्दछ । व्यवस्थापकीय, वित्तीय व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह र खरिद व्यवस्थापन पक्षसँग सम्बन्धित विभिन्न २० सूचकको आधारमा यस कार्यालयको वित्तीय जवाफदेहिता मूल्यांकनबाट प्राप्त नतिजा ४७ प्राप्त भएको छ । सो बमोजिम कार्यालयको वित्तीय जवाफदेहिताको स्तरले "C" ग्रेडिङ्ग प्राप्त गरेको छ । वित्तीय जवाफदेहिताको स्तरमा सुधार ल्याउनु पर्दछ ।

६४ बेरुजू - पञ्चेश्वर गाउँपालिकाको प्रारम्भिक प्रतिवेदन अनुसार यो वर्ष असुल गर्नुपर्ने बेरुजू रु.५० लाख ९५ हजार, अनियमित बेरुजू रु.२. करोड १६ लाख .१४ हजार, प्रमाण कागजात पेश नभएको बेरुजू रु.४. लाख ५०. हजार र पेशकी बाँकी देखिएको रु.८ लाख ८७. हजार समेत रु २. करोड ८० लाख .४६ हजार बेरुजू कायम भएकोमा प्रतिक्रियाबाट बेरुजू फछ्यौट भएको छैन ।

६५ अनुगमन तथा मूल्याङ्कन : स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ ले बेरुजू फछ्यौट गर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही ऐनको दफा ८४(२) (घ) बमोजिम बेरुजू फछ्यौट गर्ने, गराउने काम कर्तव्य प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हुने व्यवस्था छ । कार्यालयले गत वर्षको बेरुजू फछ्यौट गरेको देखिएन । गत वर्षको बेरुजू स्थिति निम्नानुसार देखिएको छ :

| गत वर्षको बेरुजू रकम (रु.) (A) | यो वर्ष फछ्यौट (B) | बाँकी (C=A-B) |
|--------------------------------|--------------------|---------------|
| ५०९२०००                        | ०                  | ५०९२०००       |

६६ अद्यावधिक बेरुजू स्थिति : पञ्चेश्वर गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७४।७५ सम्मको फछ्यौट गर्न बाँकी बेरुजू स्थिति देहाय अनुसार रहेको छ :

| गत वर्षसम्मको फछ्यौट गर्न बाँकी (रु.) (C) | यो वर्षको सं.प.बाट कायम बेरुजू रु. (D) | यो वर्षको कायम बेरुजू रु. (E) | बाँकी (F=C+D+E) |
|---|--|-------------------------------|-----------------|
| ५०९२०००                                   | ०                                      | २८०४६९६६.७८                   | ७९३८९६६.७८      |

पञ्चेश्वर गाउँउपालिकाको यो वर्षको बेरुजू बर्गीकरण (विनियोजन, राजस्व, धरौटी र अन्य कारोबार)

अनुसूची- १

२०७४।७५

(रु.हजारमा)

| सि.<br>नं. | जिल्ला | स्थानीय<br>तहको नाम   | प्रारम्भिक बेरुजू |      | प्रतिक्रियावाट फल्यैट |            |      | बाँकी बेरुजू |            | अशुल<br>गनुपर्ने | नियमित गनुपर्ने |                 |                                  |  |                   | पेशकी |        |      |       |     |
|------------|--------|-----------------------|-------------------|------|-----------------------|------------|------|--------------|------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------|--|-------------------|-------|--------|------|-------|-----|
|            |        |                       | दफा संख्या        |      | रकम                   | दफा संख्या |      | रकम          | दफा संख्या |                  |                 | अनियमित<br>भएको | प्रमाण<br>कागजात<br>पेश<br>नभएको | राजश्व<br>लगत<br>जिम्मेवारी<br>नसारेको | सोधभनां<br>नलिएको | जम्मा | कमचारी | अन्य | जम्मा |     |
|            |        |                       | सैदान्तिक         | लगती |                       | सैदान्तिक  | लगती |              | सैदान्तिक  | लगती             | सैदान्तिक       | लगती            | सैदान्तिक                        | लगती                                   | सैदान्तिक         | लगती  |        |      |       |     |
| १.         | बैतडी  | पञ्चेश्वर गाउँउपालिका | ४५                | २१   | २८०४६                 | ०          | ०    | ०            | ४५         | २१               | २८०४६           | ५०९५            | २९६१४                            | ४५०                                    | ०                 | ०     | २२०६४  | ३२७  | ५६०   | ८८७ |

अनुसूची- २

सञ्चित कोषको विवरण

२०७४।७५

प्रदेश :- सुदूर पश्चिम

(रु.हजारमा)

| क्र.<br>सं. | स्थानीय तह            | जिल्ला | आय                      |                    |                                  |         | जम्मा आय | व्यय      |              |              |            | मौज्दात |
|-------------|-----------------------|--------|-------------------------|--------------------|----------------------------------|---------|----------|-----------|--------------|--------------|------------|---------|
|             |                       |        | गत वर्षको<br>जिम्मेवारी | समानीकरण<br>अनुदान | सशर्त तथा<br>अन्य बजेट<br>अनुदान | अन्य आय |          | चालु खर्च | पूँजीगत खर्च | अन्य<br>खर्च | जम्मा खर्च |         |
|             |                       |        | १                       | २                  | ३                                | ४       |          | ५ (२+३+४) | ६            | ७            | ८          |         |
| १.          | पञ्चेश्वर गाउँउपालिका | बैतडी  | ५१११                    | १६०१०५             | ८४७८१                            | ७१३७०   | ३१६२५६   | १६०५८३    | १५१६९०       | ७०९          | ३१२९७४     | ८३९३    |